साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 10 06 - 12 मार्च 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

यौन अपराध संकट में पड़ते बच्चे
पृष्ठ-6

भ्रष्टाचार निरोधक कवायदों का सच
पृष्ठ-7

समाजिक न्याय के नाम पर दक्षिण भारत से उठी

राजनैतिक गठजोड़ की आवाज़

क्या राजनैतिक पार्टियाँ ध्यान देंगी?

श्री एम.के. स्टालिन ने तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सामाजिक न्याय के प्लेटफार्म पर एकत्रित होने के लिए एक पत्र भेजा है, प्रश्न यह है कि क्या राजनैतिक पार्टियां उस पर ध्यान देंगी।

05 राज्यों के इन चुनावों की प्रतिध्वनि अब अखिल भारतीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है जिससे यही साबित होता है कि ये चुनाव 2024 में होने वाले राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों के 'सेमीफाइनल' ही है। पांच राज्यों के चुनावों में हमें बिखरे हुए विपक्षी दलों की स्थिति साफ नज़र आ रही है क्योंकि किसी भी राज्य में इन दलों का कोई साझा मोर्चा नहीं बन पाया है। बेशक उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर कुछ दलों का गठजोड़ बना है परंतु इसे आंचलिक आधार पर ही राजनैतिक लेखे-जोखे में रखा जा सकता है। मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही प्रभावकारी है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए इस बार हैरतअंगेज़ तरीके से भारत के धुर दक्षिणी राज्य तमिलनाडू से शुरुआत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ये प्रयास इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन ने बजाय राजनैतिक आवरण के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शुरू किये जा रहे हैं। श्री स्टालिन ने सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय महासंघ बनाने की परिकल्पना के साथ शुरू किये हैं और देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं को इससे जुड़ने का आहवान किया है। इनमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी से लेकर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव तक शामिल है। इसके साथ ही देशभर की अन्य विरोधी पार्टियों के नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं जिनमें तृणमूल कांग्रेस की नेता सुश्री ममता बनर्जी और बसपा की नेता सुश्री मायावती के नाम भी हैं।

एम॰ के॰ स्टालिन सामाजिक न्याय की मुहीम चलाने के नाम पर देशभर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि उनके राज्य तमिलनाडू में केन्द्र सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर हालत में है और इसका राजनीतिक विमर्श भी दक्षिण के लोगों के गले नहीं उतर पाता है। यदि हम स्वतंत्र भारत के राजनैतिक इतिहास को देखें तो तमिलनाडू ही देश का वह पहला राज्य है जिसमें सामाजिक न्याय के मुद्दे ने सबसे पहले राजनैतिक क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया और स्वतंत्रता से पूर्व बनी जस्टिस पार्टी ने मद्रास रेजिडेंसी के इलाक़े में पिछड़े समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने की मुहिम चलाई और गैर ब्राह्मणवाद के आधार पर दलित व दलित व पिछड़ी जातियों को जोड़ा।

इस मुहिम के सबसे बड़े नेता स्व. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिलनाडू में सामाजिक न्याय को राजनीति का केन्द्रीय विमर्श बनाने में सभी राजनैतिक विचार धाराओं को भी प्रभावित किया और बाद में द्रविड़ कषगम पार्टी की स्थापना भी की लेकिन उन्होंने इस पार्टी का रुख़ जब तमिल या द्रविड़ राष्ट्रवाद की ओर मोड़ना चाहा तो स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रवाद की अलख जगा कर समूचि तमिल जनता को इससे जोड़ दिया जिसमें स्व. कामराज नाडार व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही।

श्री कामराज स्वयं बहुत पिछड़े समाज से आते थे और ग़रीब आदमी के प्रतिनिधि के रूप में उनकी राजनैतिक पहचान बन चुकी थी अत: महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने तमिलनाडू में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिस भारतीय संघर्ष को जनमानस में फैलाया उसे व्यापक समर्थन मिला परंतु सामाजिक न्याय को उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए व्यावहारिक स्तर पर उतारने की कोशिश की और स्वयं केवल पाचवीं कक्षा पास होते हुए भी उन्होंने तमिलनाडू की शिक्षा प्रणाली को क्रांतिकारी तरीके से तब बदला जब वह राजा जी के बाद 1956 में इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। ग़रीब स्कूल छात्रों के लिए मिड-डे-मील स्कीम उन्होंने ही शुरू की थी। परंतु स्व. कामराज के नेतृत्व के चलते जहां तमिलनाडू सामाजिक न्याय की ओर कार्यरूप में बढ़ रहा था और राज्य की नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा था वहीं स्व. पेरियार के एक शिक्ष्य स्व. सी.एम. अन्नादुरै ने रामास्वामी नायकर के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं से क्षुब्ध होकर अपनी नई पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम बनाई और स्व. नायकर के द्रविड़ राष्ट्रवाद के सिद्धांत से स्वयं को अलग करते हुए भारतीय संविधान के तहत राजनैतिक गतिविधियां चलाने की कसम उठाई।

इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई थी कि द्रविड़ कषगम की पृथक द्रविड़ राष्ट्र की सोच को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री प. नेहरू संविधान में यह संशोधन ले आये थे कि जो भी पार्टी या दल संघीय भारत की भूमि को तोड़ने या इससे अलग होने की बात करता है वह भारतीय चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता। अत: स्व. अन्ना दुरै ने अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी के सिद्धांतों को भारतीय संविधान की शर्तों के अनुरूप रखते हुए चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया और 1962 के चुनावों में उनकी पाटी का साधारण समर्थन भी मिला परंतु अक्तूबर 1963 में श्री कामराज को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने फैसले के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर श्री एम. भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री बने (पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयन्ति नटराजन उन्हीं की नातिन हैं) हालांकि भक्तवत्सलम भी पिछड़े समुदाय से थे मगर वह कामराज की महान विरासत को नहीं संभाल सके और 1967 के चुनाव में स्व. अन्ना दुरै की द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी को विधानसभा में ज़बरदस्त बहुत मिला और श्री अन्ना दुरै ने मुख्यमंत्री पद संभाला।

श्री अन्ना दुरै ने ही उस समय मद्रास कहे जाने वाले राज्य का राम बदल कर तमिलनाडू किया मगर उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई और 1968 में श्री एम.के. स्टालिन के पिता स्व. एम.के. करुणानिधि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे परंतु 1974 में उनके अपनी पार्टी के ही महत्वपूर्ण नेता व लोकप्रिय फिल्म अभिनेता स्व. एम.जी. रामचन्द्रन से मतभेद हो गये और रामचन्द्रन ने स्व. अन्ना दुरै के नाम पर ही अपनी अलग अन्नाद्रमुक पार्टी बना ली। अत: 1967 से लेकर अब तक तमिलनाडू पर ये दो पार्टियां ही सरकार बनाती आ रही हैं परंतु अन्ना द्रमुक की जयललिता की मृत्यु होने के बाद अब यह पार्टी लावारिस जैसी हो गई है अत: पिछले विधानसभा चुनावों में श्री करुणानिधि की मृत्यु के बाद द्रमुक की कमान संभाल रहे श्री एम.के. स्टालिन को तमिलनाडू की जनता ने भरपूर समर्थन दिया मगर द्रमुक ने यह चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ा था।

द्रमुक स्वयं को सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस के करीब पहले ही घोषित कर चुकी है और अब इसके नेता श्री स्टालिन उन सभी पार्टियों को सामाजिक न्यसाय के नाम पर एक मंच पर लाना चाहते हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस के भारत की परिकल्पना से जुड़ती है जिसका मुख्य

बाक़ी पेज 11 पर

श्री कामराज स्वयं बहुत पिछड़े समाज से आते थे और ग़रीब आदमी के प्रतिनिधि के रूप में उनकी राजनैतिक पहचान बन चुकी थी अत: महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने तमिलनाडू में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिस भारतीय संघर्ष को जनमानस में फैलाया उसे व्यापक समर्थन मिला परंतु सामाजिक न्याय को उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए व्यावहारिक स्तर पर उतारने की कोशिश की और स्वयं केवल पाचवीं कक्षा पास होते हुए भी उन्होंने तमिलनाडू की शिक्षा प्रणाली को क्रांतिकारी तरीके से तब बदला जब वह राजा जी के बाद 1956 में इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। ग़रीब स्कूल छात्रों के लिए मिड-डे-मील स्कीम उन्होंने ही शुरू की थी। परंतु स्व. कामराज के नेतृत्व के चलते तमिलनाडू सामाजिक न्याय की ओर कार्यरूप में बढ़ रहा था और राज्य की नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा था।

यूक्रेन संकट: क्या अमेरिका का असर घट गया है?

मारूफ रज़ा

रूय और यूक्रेन के बीच छिड़ा संघर्ष इन दिनों दुनियाभर में चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से रूस हमेशा से यूक्रेन पर अपना दावा करता रहा है। नौवीं शताब्दी में वह रूसी साम्राज्य की राजधानी था और कीव आधुनिक रूस के निर्माण का स्थल था। इसलिए रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने अपने मौजूदा मित्र देश के साथ गठबंध न किया है और यह भू-राजनीतिक दृष्टि से नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जिसे रूस ने परिभाषित करने का फैसला किया है और रूस के समक्ष अमेरिकी नेतृत्व के खड़ा होने की अक्षमता यह दिखाएगी कि भू-राजनीति में अमेरिका का प्रभाव घट गया है।

वास्तव में भारी संख्या में रूसी सैनिक यूक्रेन में भीतर तक घुस गए हैं। यूक्रेन की राजधानी में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने के साथ ही कीव के बाहरी इलाके में घातक लड़ाई चल रही है। आख़िर ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात यह है कि रूस हमेशा से लिखित रूप में यह गारंटी चाहता था कि यूक्रेन अमेरिकी नेतृत्व में नाटो सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन पश्चिमी देशों ने यह गारंटी देने से इंकार कर दिया, बस कुछ वादे भर किए, जिसका कोई मतलब नहीं हैं दूसरी बात यह है कि रूस जोर देकर यह कहता रहा है कि अगर पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन रूस के सीमावर्ती इलाकों में आता है, तो रूस की सुरक्षा के लिए एक चुनौती पैदा होगी, खासकर रूस के कब्ज़े वाले क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर। रूस ने कहा कि अगर नाटो सैनिक यूक्रेन में आते हैं, तो वे निश्चित रूप से क्रीमिया पर आक्रमण करेंगे, जिसके चलते हमें युद्ध में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसे में 38 से ज़्यादा देश, जो पूर्व सोवियत संघ से निकले हैं, वे सब भी नाटो में शामिल हो जाएंगे।

इसके अलावा, ऐतिहासिक रूप से रूस हमेशा से दावा करता है कि यूक्रेन वह जगह है जहां प्राचीन रूसी साम्राज्य ने आकार लिया और वह आधुनिक रूस की जन्मस्थली है। अतीत में यूक्रेन रूस को रणनीतिक सुरक्षा प्रदान करता रहा है। यूक्रेन ने 1812 में नेपोलियन की सेना और 1941 में हिटलर की नाजी सेना से रूस को बचाया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, तो इसका नाम पुराने शब्द 'ओक्रेना' से लिया गया था, जिसका मतलब होता है परिधि।

लेकिन पूर्व सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा यूक्रेन जब सोवियत संघ के पतन के बाद उससे अलग हो गया, तो पुतिन को यह अपमानजनक लगा। रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के लिए, जो कभी केजीबी अधिकारी थे और जिन्होंने बर्लिन की दीवार को गिरते हुए देखा, पूर्व सोवियत संघ का पतन एक व्यक्तिगत नाराज़गी में बदल गया और समय के साथ यह नाराज़गी और बढ़ती गई। सोवियत संघ के बिखरने के बाद उन्होंने पश्चिम के लोगों का अंधराष्ट्रवाद देखा। पुतिन कट्टर राष्ट्रवादी हैं और उनका मंसूबा है कि एक दिन वह पश्चिमी दुनिया को भी इसी तरह मज़ा चखाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने मौजूदा मित्र देश चीन से हाथ मिलाया, जो आर्थिक और सैन्य रूप से काफी मज़बूत है। पश्चिम

बाक़ी पेज 04 पर

पाक की अफ़ग़ान नीति से बढ़ते संकट

अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ चुका है और धीरे- धीरे वहां स्थितियां स्थिर हो रही है। अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार वहां आम दिनचर्या सामान्य करने में लगी है। परंतु इसके बरक्स अफ़ग़ानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए संतुलनकर्ता राष्ट्र के रूप आगे आने की पाकिस्तान की भूमिका सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्तर पर वैश्विक मान्यता मिलने की संभावना नगण्य ही है। अफ़ग़ानिस्तान के लोग अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और तालिबानी कब्ज़े के लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार मानते रहे हैं। यह विरोध अफ़ग़ानिस्तान के सर्वोच्च नेता रहे हामिद करज़ई से लेकर अशरफ़ ग़नी तक अपने देश की बदहाली के लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ इस्लामिक देशों में भी पाकिस्तान को लेकर असमंजस बरकरार है। इसका बड़ा कारण पाकिस्तान के बहुआयामी हित रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित तालिबान सुन्नी संगठन है और वह अल्पसंख्यक हजारा, ताजिक और शिया मुसलमानों को निशाना बनाता रहा है। अफ़ग़ानिस्तान में कब्ज़े के बाद उसने इन अल्पसंख्यक समुदायों पर बेतहाशा अत्याचार किए हैं। अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति के लिए पाकिस्तान को हमेशा अच्छे और कड़वे अनुभवों के लिए जाना जाता रहेगा। भविष्य में पाक की अफ़ानिस्तान नीति क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा।

12 साल बाद लौटी तुगलकाबाद क़िले की रौनक़

तुगलकाबाद क़िले में 12 वर्ष बाद रौनक़ लौटी है। कॉमनवैल्थ गैम्स के चलते 2009 में इसका संरक्षण कार्य कराया गया था, लेकिन कुछ समय बाद क़िला वीरान हो गया था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने फिर से इस क़िले की दशा सुधारी है। मुख्य बावली, विजय मंडल सहित कुछ प्रमुख भागों में संरक्षण कार्य कराया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से ग्रिल लगाई गई है। भूमिगत मीना बाजार को व्यवस्थित किया गया है। स्मारक में रोशनी का बेहतर प्रबंध किया गया है। रौशनी से शाम के समय क़िला जगमगाता है।

यहां विजय मंडल सबसे ऊंचा स्थान है। बताया जाता है कि गोलाकार में बने विजय मंडल को शहंशाह के बैठने के लिए बनाया गया था, जो पर्यटक स्मारक देखने पहुंचते हैं इस स्थान पर ज़रूर जाते हैं। एक तरह से यह सेल्फी प्वाईंट बन गया है। इसके ऊपर बैठने के लिए सीमेंट की बेंच बनाई गई है। सुरक्षा के लिहाज़ से लौहे की ग्रिल लगाई गई है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ठीक की गई हैं।

क़िला के पश्चिमी छोर पर बनी गहरी बावली में पर्यटक घुस जाते थे और गिरने का खतरा बना रहता था। इसे चारों ओर से लोहे की ग्रिल लगाकर बंद किया गया हैं क़िला के पिछले भाग से तुगलकाबाद गांव के लोगों के पशु पर्यटकों के बीच एक आ जाते थे। एएसआइ ने लौहे के दो गेट लगाकर पशुओं का प्रवेश पर्यटकों वाले भाग में रोक दिया है।

दिल्ली में 1321 ईस्वी में मुबारक शाह का शासन था। यह वह समय था जब मंगोल बहुत सक्रिय थे और उनसे बचने के लिए पंजाब सूबे गवर्नर गाज़ी मलिक ने पहाड़ी पर क़िला बनाकर राजधानी स्थापित करने का सुझाव मुबारक शाह को दिया।

उस समय राजधानी का संचालन हौजख़ास के प्रसिद्ध सीरी क़िला से होता था। इस पर मुबारक शाह ने उसका मज़ाक बनाया और ऐसा करने से मना कर दिया। मगर वक़्त ने ऐसा पलटा खाया कि मुबारक शाह की मौत के बाद यही गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह क़िला बनवाया। मगर यह क़िला आबाद नहीं हो सका। ऐसा बताया जाता है कि एक ओर क़िला बस रहा था और दूसरी लोग यहां से छोड़कर जा रहे थे क्योंकि आसपास का पानी ज़हरीला हो गया था।

एएसआई के आधिकारिक दस्तावेज़ में इस बात का ज़िक्र है कि क़िले का काम हुए बग़ैर गयासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी को इस क़िले में ले आया था। कुछ दिन बीते थे कि बंगाल में विद्रोह हो गया जिसे शांत करने के लिए उसे बंगाल कूच करना पड़ा। वहां उसे सूचना मिली कि निज़ामुद्दीन औलिया ने यह बावली बनवा ली है, जिसे बनवाए जाने से रोकने का उसने प्रयास किया था। उसने वहां से अपने दरबारी कवि व औलिया के शिष्य अमीर से उनको संदेश भिजवाया कि राजधानी तुरंत छोड़ दें अन्यथा दिल्ली पहुंचने पर उनका सिर क़लम कर दिया जाएगा। जिस पर औलिया ने कहा था सुल्तान दिल्ली नहीं देखेगा। उसके लिए दिल्ली दूर है (दिल्ली दूर अस्त)। एएसआइ के दस्तावेज में वर्णित है कि लौटते समय किले से छह मील दूर रह जाने पर एक लकड़ी के मचान में दबकर उसकी मौत हो गई।

दिल्लीवासियों ने दिए बजट के लिए नए-नए सुझाव

दिल्ली का बजट कैसा हो, इस पर राय देने के लिए दिल्ली सरकार को कुल 5500 सुझाव प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष देशभक्ति बजट बनाने के बाद अब 2022-23 के बजट के लिए भी सरकार ने नया प्रयोग लागू किया है। इस बार दिल्ली का बजट जनता की राय पर बनेगा। दिल्ली का वार्षिक बजट तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से सलाह और सुझाव मांगे थे, जिसका समय 15 फरवरी को पूरा हो गया।

दिल्ली सरकार को समाज के सभी वर्गों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शहर के एक जागरुक व्यक्ति ने मोहल्ला क्लिनिग की तर्ज़ पर मोहल्ला लाब्रेरी खोलने का सुझाव दिया है। इसी तरह एक अन्य निवासी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सस्ती पार्किंग की मांग की है। अन्य नवीन सुझावों में छोटे पैमाने के सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के साथ स्थानीय सीवरेज उपचार संयंत्रों के पानी को पार्कों की सिंचाई के लिए उपयोग करने पर सुझाव दिए गए हैं। एक अन्य व्यक्ति ने बिजनेस ब्लास्टर्स की तर्ज़ पर छोटे व्यवसायों के लिए उद्यमी-निवेशक सम्मेलनों और कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। इसी तरह एक व्यक्ति ने कोरियर के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने की नीति की मांग की है। एक युवा छात्र ने सुझाव दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ भाड़ वाली कालोनियों के पास ई-बाईक रेंटल प्वाईंट लगाकर दिल्ली में ई-बाइक को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा छोटे पैमाने के सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्रों, स्थानीय बायोगैस संयंत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों, पार्कों की सिंचाई के लिए उपचारित पानी के उपयोग और घर-घर से ई-कचरा संग्रह का सुझाव मिला है। सलाह का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा नागरिकों ने पर्यटन को बढ़ावा देने, बेहतर परिवहन, ग्रामीण विकास, प्रदूषण, शहर के सुंदरीकरण और सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों पर भी अपनी राय दी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों दिल्लीवासियों से ऑनलाइन सुझाव मांगने की पहल की थी कि इस बार बजट में क्या और किस तरह की स्कीमें वग़ैरह लागू करने हेतू सुझाव मांगे थे।

संपादकीय

शांति मिशन

हिजाब

एक इस्लामी फरीज़ा है, जिसकी हिफाज़त ज़रूरी है

हिजाब एक इस्लामी फरीज़ा है जिसकी कुरआन करीम और अहादीसे नबवी सल्ल॰ में ताक़ीद आई है, कुरआन करीम के सूरह अहज़ाब में बारी तआला का इरशाद है :-''ऐ नबी अपनी बीवियों और साहबज़ादियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वह अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें यह इस से ज़्यादा नजदीक है कि वह पहचानी जाएं उन्हें तकलीफ न दी जाए अल्लाह बहुत बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।''

यह एक कटु सत्य है कि हिजाब भी औरतों के लिए पर्दा और उसकी इज़्ज़त-ओ-आबरू को महफूज़ रखने का एक अच्छा ज़रिया है। हिजाब औरतों के लिए वक़ार व एहतराम की पहचान है वह महिलाओं के तकद्दुस की पामाली से हिफाज़त का ज़ामिन है इसी से रिश्तों का तकद्दुस और वाहमी एहतराम को चमक मिलती है। हिजाब की इस्लाम में कितनी अहमियत है उसका अंदाज़ा नीचे के वाकेए से लगाया जा सकता है। सरकारे दोआलम सल्ल॰ पर जब पहली वह्यी नाज़िल हुई और आप सल्ल॰ घबराए हुए हज़रत खदीजा रज़ि॰ के पासपहुंचे और उन्हें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद के साथ पूरा वाक़ेआ सुनाया तो उन्होंने आपको ढांढस बंधाते हुए कहा कि 'अब हज़रत जिब्रील अलै॰ तशरीफ लाएं और आपको नज़र आएं तो आप मेरे पास आ जाएं इसलिए जिब्रील अलै॰ की आदम पर आने ऐसा ही किया, इस मौक़े पर हज़रत खदीजा ने अपने सर पर दुपट्टा उतार दिया, तो हज़रत जिब्रील वापस हो गए, इस पर हज़रते खदीजा ने आप से अर्ज़ किया कि आप घबराएं नहीं आपके पास आने वाला फरिश्ता ही है इसलिए की अगर कोई शैतान या जिन्न होता तो मुझे नंगे सिर देखकर वापस न जाता। खुद हज़रत जिब्रील अलहिस्सलाम ने भी उसकी तस्दीक की। इस वाक़ेए से मालूम होता है कि इस्लाम में हिजाब की अहमियत है। इस्लाम में महरम से पर्दा का हुक्म नहीं है लेकिन इसके बावजूद कोई बाह्य और शर्म वाली औरत यह गंवारा नहीं कर सकती वह किसी महरम, यहां तब की अपने बाप और भाई के सामने बना सर पर दुपट्टा रखे या हिजाब डालें बिना आए। मुसलमान ही नहीं दुनिया के किसी भी मज़हब को मानने वाले गैरतमंद बाप या भाई गंवारा नहीं कर सकते कि उनकी बेटी या बहन बग़ैर हिजाब के बाहर निकले और मर्दों की गुस्ताख़ निगाहों का निशान बने, इसलिए जो लोग हिजाब को मुसलमानों के साथ जोड़ते हैं वह केवल मुसलमानों के ही नहीं पूरे मानव समाज के दुश्मन हैं इसलिए कि हमारे समाज में आज भी कोई औरत यह गंवारा नहीं कर सकती कि उसके हुस्न की रानाई पर उसके शौहर के अलावा किसी और की नज़र पड़े।

इस हक़ीक़त से कौन इंकार कर सकता है कि दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब और हज़ारों संस्कृति पाई जाती है और हर मज़हब तहज़ीब में औरतों के लिए पर्दा को खास अहमियत दी गयी है। भारत तो एक बहुधर्मी और बहुसंस्कृतिक देश के तौर पर मशहूर है यहां जितने मज़ाहिब और संस्कृतियां मौजूद हैं वह अपने उरुज पर हो या निम्नतम स्तर पर खासतौर पर बौद्धमत और जैन मत के लोगों ने अपनी औरतों के वक़ाल की खातिर आंचल को खास अहमियत दी है। खुद हिन्दू धर्म में भी बेपर्दगी को न केवल नापसंद क़रार दिया गया है बल्कि उसे मज़हबी रस्म क़रार देकर उसकी अहमियत वाज़ेह कर दी गयी है। आसमानी मज़ाहिबे में ख्वाह वह इसाईयत हो या यहूदियत हिजाब को वक़ार की अलामत क़रार देकर उसके इस्तेमाल का एहतमाम किया गया है। ईसाईयों और यहूदियों की मज़हबी ख्वातीन का आप पहनावा देख लीजिए उनके यहां हिजाब का ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है वह आपको नज़र आएगा। खुद अपने देश की बावक़ार हिन्दू मुस्लिम औरतों पर एक निगाह डाल लें यहां तक कि हर मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली औरतों के आंचल और हिजाब से सर ढंके हुए नज़र आएंगे।

भारत एक सेकुलर देश है यहां सेकुलर संविधान का शासन है, हमारा निज़ाम इस क़दर खूबसूरत और दिलकश है कि पूरी दुनिया उसकी रंगारंगी और खूबसूरती को मानती है और उसे इज़्ज़त की नज़र से देखती है मगर यह बात काफी अफसोस के साथ नोट की जाएगी कि कुछ ना-समझ लोगों ने केवल अपनी कुर्सी और सत्ता के बचाव के लिए एक ऐसी सूरतेहाल पैदा कर दी है जिससे पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, आज आलमी सतह पर लोग भारत के सेकुलर किरदार पर उंगुलियां उठा रहे हैं।

हिजाब का यह मसला कर्नाटक में केवल राजनैतिक वजूहात की पैदावार है जो पूरे देश की फिज़ा को गंदा करना चाहता है। यह किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश के परंपरागत और नागरिको के मौलिक अधिकार को पामाल करते हुए इज्ज़तो वक़ार के इस मसले को भी राजनैतिक रंग दे दिया जाएगा। जबकि यह बिल्कुल साफ है कि इस्लाम ने हिजाब का प्रयोग ज़रूरी क़रार दिया है और हमारे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान ने धारा 14, 19 और 25 के ज़रिए उसे संरक्षण दिया गया है। कुछ कथित स्वयं को शिक्षित समझने वाली औरतें और मर्द यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब की कोई पाबंदी नहीं है। यह सरासर ग़लत और बेबुनियाद है। कुरआन-ए-करीम और अहादीसे रसूल सल्ल॰ में उसका वाज़ेह हुक्म मौजूद है, जैसा कि सूरह अहजाब की आयत से मालूम हो रहा है। असल में हिजाब का यह मुद्दा उस समय छेड़ा गया है जब देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव का समय है और भाजपा को अपनी औक़ात का पता चल गया है, डूबते को तिनके का सहारा का प्रमाण अब जब कि साम्प्रदायिक तत्वों के तमाम हथियार असफल हो रहे हैं, उन्होंने हिजाब का यह फसाना खड़ा करके और योगी जी ने इसे धर्म से जोड़कर यह कहते हुए कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं, एक तरह से यह अपना आख़िरी तीर चलाने की कोशिश की है। वह अपनी हर मैदान में नाकामियों से भी सबक़ हासिल नहीं कर रहे हैं और बराबर हिन्दू-मुसलमान का कार्ड खेलने में लगे हुए हैं। उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि या वह जानना नहीं चाहते कि भारत के मुसलमान उनकी इन शरारतों से घबराने वाले नहीं हैं। अकेली छात्रा 'मुस्कान' ने सैकड़ों भगवाधारियों को जो जवाब दिया वह उसका एक ताज़ा उदाहरण है। 'मुस्कान' ने जवाब में 'अल्लाहु अकबर' कहा उसने हक़ परस्तों को एक नया हौंसला दिया है और उनमें एक नये अज़्म व हौंसले को चमक बख़्शी है।

यह बात खुशआमद है कि हिजाब के इस विवाद में जहां विदेशों से मानवाधिकारों की रक्षक संस्थाएं भी आवाज़ उठा रही हैं, वही देश में भी उसके विरुद्ध में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, अभी हाल ही में लगभग 765 बुद्धिजीवियों, समाजी कार्यकर्ताओं और वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन सौंप कर उनसे मांग की है कि चूंकि स्कूल और कॉलेजों में जाने से पहले हिजाब उतारने के लिए मुस्लिम महिलाओं को मजबूर किया जा रहा है, जो सरासर मुस्लिम महिलाओं की तौहीन है, इसलिए हिजाब के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय को जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। यह भी मालूम हुआ है कि इस संबंध से एक अपील पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने मुद्दईयों को अभी इंतज़ार करने को कहा है।

पत्र में लिखा गया है कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से यकसां तौर पर फिक्रमंद है जिसमें छात्राओं को उनके मज़हब की परवाह किये बिना भगवा शाल, स्कार्फ, मज़हबी झंडे आदि को कलास में पहनने से रोक लगाई गयी है, जिला इंतजामिया की ओर से स्कूलों, कॉलेजों में दाख़िले से पहले हिजाब उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यह हरकत मुस्लिम छात्राओं और मुस्लिम मुलाजमीन की तौहीर है और यह न सिर्फ छात्राओं की अनदेखी, बेइज्ज़ती है बल्कि यह भारतीय संविधान के भी विरुद्ध है। इज्ज़त के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने के बुनियादी अधिकार की रक्षा में नाकामी की वजह से हमारे सिर शर्म से झुक गए हैं। इस तरह के फैसले का असर मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने और हमारे देश में शिक्षा के विरुद्ध झुकाव को बढ़ावा देना हैं केवल हिजाब पहनने से लड़कियां को शिक्षा से वंचित करना ठीक नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की आज़ादी, वक़ार के खिलाफ यकसानियत क़ायम करना ग़ैरआईनी है जबकि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार है कि वह हिजाब यकसानियत कायम करना ग़ैर आईनी है।

मशहूर वकील अफशां प्राचाय जिन के हस्ताक्षर इस ख़त में है, ने कहा है कि यह बुनियादी अधिकारों का खुला हनन है। हम ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की अर्ज़ी दायर की थी, जिस में कर्नाटक की कुछ छात्राओं को भी शामिल किया गया था, उस अर्ज़ी पर चीफ जज ने सुनवाई करने के बजाए कहा कि आप अभी इंतज़ार करें। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर हमने सुनवाई शुरू कर दी तो फिर हाईकोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगा।

हिजाब का यह मुद्दा कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है इसलिए कि राजनैतिक जानकारों का मानना है कि यह संघ और उसके पालतू साम्प्रदायिक तत्व विशेषतौर पर भाजपा, के इस राजनैतिक मंसूबे का ही हिस्सा है जिसके जरिए वह हिन्दू वोटबैंक को संगठित करके सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। ज़ाहिर है सत्ता की चाहत एक समाप्त न होने वाला लोभ है। हिजाब का मुद्दा ठंडा पड़ेगा वह कोई दूसरा मुद्दा गढ़ेंगे। इसलिए कि 2022 से 2024 तक पहले विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव का होना जारी रहेगा और यह सबको मालूम है कि भाजपा और उसका आक़ा अपने संघी मंसूबे की पूर्ति के लिए 2024 में सत्ता में वापसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे देश को उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बहरहाल कर्नाटक की बेटी 'मुस्कान' ने भगवाधारी गुंडों का मुक़ाबा करते हुए जिस तरह 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, हव बेशक उसकी ईमानी साहस की वाज़ेह दलील है, जिस से आज पूरे विश्व के न्यायप्रिय जनता प्रभावित होकर 'मुस्कान खां' को उसके इस हौंसले पर मुबारकबाद दे रहे हैं।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द जो भारतीय मुसलमानों की एक प्रसिद्ध और पुरानी संस्था है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में स्पष्ट भूमिका निभाई है और जो आज़ादी के बाद से आज तक लगातार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, और इस्लामी पहचान और उसकी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा उसकी पहली ज़िम्मेदारी जो जमीयत के क़याम के पहले दिन से बनी हुई थी आज पूरी मुस्तैदी से अपनी इन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में लगी हुई है। जमीयत ने कर्नाटक की इस बहादुर हौंसलामंद बेटी के हौंसले को सलाम करते हुए पांच लाख रुपए का ईनआम पेश किया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैय्यद महमूद मदनी साहब ने इस ईनामी रक़म की घोषणा करते हुए अपने संविधानिक व दीनी अधिकार के लिए डटकर पूरे हौंसले के साथ भगवा झगड़ालू तत्वों से मुक़ाबला करने वाली इस बच्च मुस्कान को, जो महात्मा गांधी कॉलेज की छात्रा है को न केवल मुबारकबाद पेश की और उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया बल्कि साफ-साफ ऐलान कर दिया कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द इस्लामी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और उसकी पहचान के लिए हर संविधानिक क़दम उठाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 'असल लड़ाई संविधान में प्राप्त व्यक्तिगत व धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में अपने धर्म और आस्था के साथ हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और हमारे इस अधिकार के हनन की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द देश के संविधान की तामीर करने वाली संस्था है इसलिए वह हर दौर में हर हाल में उसकी रक्षा करेगी। ❑❑

'राष्ट्रवाद' नगरों को नया नाम देना नहीं

इरफान हबीब

पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में एमेरिट्स प्रफेसर हैं। भारत के मध्यकलीन इतिहास, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल, भारतीय प्रौद्योगिकी के इतिहास, मध्यकालीन प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास, उपनिवेशवाद और उसके प्रभावों पर उनका व्यापक कार्य है। 'एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया', 'एन एटलस ऑफ द मुग़ल एंपायर', 'एसेज इन इंडियन हिस्ट्री : टुवर्ड्स ए मार्कसिस्ट परसेप्शन, कैंब्रिज इकॉनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया-खंड-1, यूनेस्को की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी आदि उनकी चर्चित किताबें हैं। इन दिनों इतिहास से राजनीति की दशा और दिशा बदलने के आरोप लग रहे हैं। यहां प्रस्तुत है इरफान हबीब से हुई एक लंबी बातचीत के मुख्य अंश।

सवालः- आप मुग़ल राजकुमार दारा शिकोह की कब्र खोजने में जुटे थे। आख़िर कहां है उनकी कब्र?

जवाबः- हुमायं के मकबरे के परिसर में कुछ कब्रों के नाम प्रमाणित है। माना जाता है कि उसी परिसर में मुग़ल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को दफ़नाया गया था। वहां अन्य मुग़ल राजकुमारों की कब्रें भी हैं लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता कि दारा शिकोह की कब्र कौन सी है।

सवालः- पृथ्वीराज चौहान के पोते अनंगपाल द्वितीय को लेकर दिल्ली में सरकार एक संग्रहालय बना रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले इन हिन्दू राजाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाबः- ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में 'तबक़ात-ए-नसीरी' नामक एक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी हुई है, जिसे मिनहाज-उस-सिराज ने लिखा है। वह मध्य एशिया का निवासी था और सुल्तान इल्तुमिश के दौर में भारत आया था। 'तबकात-उस-नसीरी' और कुछ अन्य शिलालेखों से हमें दिल्ली सल्तनत और अन्य जानकारियां मिलती हैं। उसके अलावा चाहमान या चौहान शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। इस आधार पर हम उनके शासन की एक प्रमाणिक तस्वीर नहीं बन सकते। कल्पना के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

दस्तावेज़ों में 'तबक़ात-ए-नसीरी' नामक एक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी हुई है, जिसे मिनहाज-उस-सिराज ने लिखा है। वह मध्य एशिया का निवासी था और सुल्तान इल्तुमिश के दौर में भारत आया था। 'तबकात-उस- नसीरी' और कुछ अन्य शिलालेखों से हमें दिल्ली सल्तनत और अन्य जानकारियां मिलती हैं। उसके अलावा चाहमान या चौहान शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। इस आधार पर हम उनके शासन की एक प्रमाणिक तस्वीर नहीं बन सकते।

सवालः- औरंगज़ेब, अकबर और टीपू सुल्तान की चर्चा समसायिक राजनीति को लेकर हो रही है। दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम भी बदला गया। इस मामले में क्या सोच है आपकी?

जवाबः- औरंगज़ेब ने धार्मिक भेदभाव की नीति का पालन किया, लेकिन औरंगज़ेब रोड का नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं था, जो कि नब्बे सालों से था। न ही उत्तर प्रदेश में पहले से स्थापित स्थानों के नाम बदलने का कोई अच्छा कारण रहा है।

सवालः- एक वर्ग मानता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने भारत का इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा?

जवाबः- ऊँच-नीच के विचार और निम्न वर्गों के उत्पीड़न के कुकृत्यों ने हमारे इतिहास को उतना ही गंदा किया है, जितना अन्य देशों में, चाहे आप प्राचीन भारत को लें या मुग़ल भारत को। इधर, अब 'राष्ट्रवादी' इतिहास के नाम पर पौराणिक कथाओं/दानवों को बढ़ावा सचिव था। उनके कार्यालय में कोई गार्ड या चपरासी नहीं था। तब मैं अलीगढ़ में इतिहास का व्याख्याता नियुक्त हुआ था। मेरे लेख सरकार के विरुद्ध होते थे, इस कारण गृह मंत्रालय मुझे पासपोर्ट नहीं रहा था। इसके लिए मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा था। नेहरू जी ने अपने विरोधियों की आपत्तियों को नज़र अंदाज़ कर मुझे फेलोशिप देने की सिफारिश की थी। मेरी उनसे मुलाक़ात हुई, जिसके बाद मुझे पासपोर्ट मिला। एक उदार और विस्तृत सोच वाले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी!

सवालः- हम देखते हैं कि कुछ साहित्य को ही इतिहास मानने लगते हैं। एक इतिहासकार की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? मुग़ल इतिहास में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई?

ऊँच-नीच के विचार और निम्न वर्गों के उत्पीड़न के कुकृत्यों ने हमारे इतिहास को उतना ही गंदा किया है, जितना अन्य देशों में, चाहे आप प्राचीन भारत को लें या मुग़ल भारत को। इधर, अब 'राष्ट्रवादी' इतिहास के नाम पर पौराणिक कथाओं/दानवों को बढ़ावा सचिव था। उनके कार्यालय में कोई गार्ड या चपरासी नहीं था। तब मैं अलीगढ़ में इतिहास का व्याख्याता नियुक्त हुआ था। मेरे लेख सरकार के विरुद्ध होते थे, इस कारण गृह मंत्रालय मुझे पासपोर्ट नहीं रहा था।

जवाबः- इतिहास के अंदर साहित्य का इतिहास भी है, साथ ही विश्वासों और विचारों का इतिहास शामिल है लेकिन यह स्वाभाविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यापक है। मेरी रुचि इतिहास में थी और मैं मुग़ल भारत के इतिहास की खोज में गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय इतिहास की किसी भी अवधि के मुक़ाबले इस काल खंड में अधिक स्रोत सामग्री है।

सवालः- आज इतिहास की राजनीति हो रही हैं कई शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम बदले जा रहे हैं। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि यह पहले हुई ग़लतियों को ठीक करने के लिए हो रहा है। आप इसे किस तरह से देखते है.?

जवाबः- ऐतिहासिक और परिचित जगहों के नाम बदलना असहिष्णुता का प्रमाण है, इसे राष्ट्रवाद नहीं माना जा सकता। ❑❑

पांचवें दौर का मतदान : कहीं ध्रुवीकरण, तो कहीं रोज़गार पर ज़ोर

3 मार्च 2022 को दस ज़िलों की 57 सीटों पर छटे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। आम जनता को अब रोज़ी रोटी की ज़्यादा फिक्र है, वह कहते हैं कि हम कट्टर हिन्दू है, राष्ट्रभक्त है, पर साथ ही हमें रोज़गार तो चाहिए ही, ये ही सबसे बड़ा मुद्दा है। पांचवें दौर के मतदान में ख़ूब ज़ोर आज़माइश हुई। सबने खूब दमखम दिखाया। बीते रविवार को 61 अखाड़े सजे। जनता ने भी सबके दमखम का भरपूर इम्तिहान लिया। पांचवें चरण के साथ ही अब तक 292 सीटों पर जनता अपना फैसला सुना चुकी है। पांचवें दौर की परीक्षा इसलिए भी अहम रही, क्योंकि अंकतालिका में जिसने भी अब तक निर्णायक बढ़त बना ली है, सत्ता की चाबी उसी के हाथ होगी। बात इस दौर के मुक़ाबलों की करें, तो जैसी तस्वीरें पहले से दिख रही थीं, मैदान में कमोबेश नज़ारा वैसा ही रहा। ज़्यादातर सीटों पर भाजपा-सपा की सीधी टक्कर दिखी। हालांकि, कई सीटों पर बसपा व कांग्रेस ने भी पूरा दमखम दिखाया। ज़ाहिर है इसका असर नतीजों पर दिखेगा। मुस्लिम व यादवों की एकजुटता के बीच प्रत्याशियों की जाति बिरादरी के अनुसार मतों का बिखराव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मुफ्त राशन व बेहतर कानून व्यवस्था का मुद्दा भी रंग दिखाता नज़र आ रहा हे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शुरू होने का प्रभाव भी हो सकता है। कई सीटों पर प्रचार तक जो प्रभावी नज़र आ रहे थे, मतदान के दिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे का पलड़ा भारी नज़र आया।

शेष.... यूक्रेन संकटः क्या अमेरिका का...

जगत ने चीन को आर्थिक रूप से मज़बूत होने का अवसर दिया, लेकिन चीन ने पश्चिम का इस्तेमाल किया और फिर उसे धोखा दिया, जैसे पाकिस्तान अक्सर अमेरिका का इस्तेमाल करता है और उसे धोखा देता है इसलिए पश्चिम के इस तर्क को, कि रूस ने सभी नियमों का उल्लंघन किया है, समग्रता में समझने की ज़रूरत है। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की बातें रूस और चीन को पसंद नहीं है।

रूस-यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत ने जो तटस्थ रुख़ अख़्तियार किया है, वह बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कूटनीतिक रूप से भारत की स्थिति अनिश्चित है। रूस एक ऐसा देश है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षासे पूरी तरह जुड़ा हुआ है। भारत अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में रूस से हथियारों का आयात करता है। रूस अकेला देश है, जिसने भारत को लीज पर परमाणु पनडुब्बी दी है। भारत को रूस स्पेयर पार्टस, टेक, सैन्य रख रखाव और सैन्य आपूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी भारत के लिए फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में सैन्य आपूर्ति के साथ साथ रूस से बेहतर संबंध बनाए रखना भारत के लिए ज़रूरी है। रूस के साथ भारत के बहुत पुराने और परखे हुए विश्वसनीय मैत्रीय संबंध हैं, जिसे रातोंरात ख़त्म नहीं किया जा सकता।

अगर भारत पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा हो, तो उसे क्या मिलेगा? ढिठाई के अलावा और कुछ भी नहीं। अब आप देखिए कि पश्चिम ने यूक्रेन के साथ क्या किया, उन्होंने संकट की घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े रहने का झूठा वादा किया। आज यूक्रेन अकेले लड़ रहा है, और पूरा पश्चिमी जगत तमाशा देख रहा है। यूक्रेन रूस और अमेरिका के भू-राजनीतिक खेल में बलि का बकरा बनकर रह गया है। रूस जानता है कि अमेरिका के पास जंग लड़ने की क्षमता नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि अफग़ानिस्तान में मुंह की खाने के बाद अमेरिका रूस के साथ सीधे टकराव मोल नहीं लेगा। अमेरिका ने भी कहा है कि वह युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि बाहर से सहायता करेगा।

इसी बीच चीन ने बेहद स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है और चीन के लोगों के पास राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की क्षमता है। लेकिन इस पर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसलिए ताइवान पर चीन कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकता है।

इसी तरह की कार्रवाई वह अक्साइ चीन, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में कर सकता है। वह हिमालयी क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ उलझ सकता है, लेकिन समुद्री क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और मलक्का हमें चीन पर बढ़त हासिल है लेकिन चीन साइबर हमले कर सकता है, बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त करने की कोशिश कर सकता है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ❑❑

राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता रुझान चिंताजनक

प्रत्येक चुनावों से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार बड़े-बड़े वायदे करते हैं। ऐसे अधिकांश वायदे तथा आश्वासन बिना पूरे हुए रह जाते हैं तथा अब आम लोगों ने ऐसे वायदों को गंभीरतापूर्वक लेना शुरू कर दिया है। यहां तक कि राजनीतिक दलों द्वारा इस दावे के बावजूद कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाएंगे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, अथवा जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, यह तर्क दिया जाता है कि 'जीतने की योग्यता' प्रमुख मानदंड है। बिना किसी अपवाद के यह बात सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में सच है।

उम्मीदवारों द्वारा दाख़िल शपथ पत्रों की समीक्षा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उनमें से कुछ हत्याएं तथा डकैतियों जैसे जघन्य आपराधिक मामलों में मुकद्दमे झेल रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले दांवे संभवत: सच हो सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं या आरोप इतने गंभीर नहीं है। कुछ मामलों में प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का परिणाम भी आपराधिक आरोप तय करने के रूप में निकल सकता है। यद्यपि गंभीर अथवा जघन्य आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता।

चुनावों पर नज़र रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ए.डी.आर.) द्वारा की गई व्यापक समीक्षा में हाल ही में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे लगभग 25 प्रतिशत उम्मीदवार आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। राज्य के चुनावों में अभी तक पहले तीन चरणों के लिए शपथ पत्र दाख़िल किए गए हैं लेकिन एक चौथाई उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का रुझान लगभग तीनों चरणों में एक जैसा है। विधानसभा चुनावों के लिए जा रहे 4 अन्य राज्य भी बेहतर स्थिति में नहीं हे। ए.डी.आर. तथा पंजाब इलेक्शन वॉच के अनुसार पंजाब में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 3 गुणा बढ़ गई है जिसमें शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने सबसे अधिक संख्या में ऐसे नामांकितों को मैदान में उतारा है। दोनों संगठनों ने मैदान में कुल 1304 उम्मीदवारों में से 1276 के शपथ पत्रों की समीक्षा करने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई।

ए.डी.आर. के ट्रस्टी जसकीरत द्वारा पंजाब इलेक्शन वॉच के परविंद्र सिंह किटना तथा हरप्रीत सिंह के साथ जारी की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की संख्या इस बार उछल कर 25 प्रतिशत पर पहुच गई है जो 2017 के चुनावों में 09 प्रतिशत थी। ऐसी पृष्ठभूमि वाले 315 उम्मीदवारों में से 65 शिअद, 58 'आप' 16 कांग्रेस, 27 'भाजपा', 04 शिअद (संयुक्त) तथा तीन-तीन बसपा तथा पंजाब लोक कांग्रेस (पी.एल.सी.) से सबंधित है।

कम से कम 15 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है जिनमें दो दुष्कर्म के शामिल हैं। चार उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले हैं जबकि 33 के ख़िलाफ़ हत्या के आरोप मामले है। राज्य के लगभग आधे निर्वाचन क्षेत्र 'रेड अलर्ट' श्रेणी में है। ये वे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां 3 या अधिक उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव मैदान में उतारने का बढ़ता रुझान चिंताजनक है। यह न केवल राज्यों के मामलों में सच है, यही रुझान संसद में देखा गया है।

ऐसासिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार कुल 363 सांसद तथा विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं तथा सज़ा मिलने के मामले में जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत वे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्र व राज्यों में 39 मंत्रियों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है जो अयोग्यता के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में शामिल हैं। ऐसासिएशन तथा नैशनल इलेक्शन वॉच ने 2019 से 2021 के बीच 542 लोकसभा सदस्यों तथा 1953 विधायकों के शपथ पत्रों की समीक्षा की थी। 2,495 तथा विधायकों में से 363 (15 प्रतिशत) ने घोषित किया है कि उनके ख़िलाफ़ अदालतों ने क़ानून के अंतर्गत सूचनाबद्ध अपराधों के सिलसिले में आरोप तय किए हैं। इनमें 2096 विधायक तथा 67 सांसद हैं।

पार्टियों में, भाजपा में ऐसे सांसदों अथवा विधायकों की संख्या 83 के साथ सर्वाधिक है, जिसके बाद कांग्रेस के 47 तथा टी.एम.सी. के 25 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा के 24 पदासीन सदस्यों के ख़िलाफ़ 10 या अधिक सालों से कुल 43 आपराधिक मामले तथा 111 पदासीन विधायकों के ख़िलाफ़ कुल 315 आपराधिक मामले लम्बित हैं।

दुर्भाग्य से विभिन्न संस्थाएं इस बुराई पर नियंत्रण पाने में असफल रही हैं। सर्वोच्च अदालत ने अपराधीकरण के ख़िलाफ़ अपनी नाखुशी ज़ाहिर की है लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हाल ही में इसने इस तथ्य के लिए अफसोस जताया कि विधायिका ने राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए कार्य नहीं किया है। यहां तक कि भारत का चुनाव आयोग भी कोई ज़िम्मेदारी लेने से बच रहा है। ऐसी स्थिति के लिए खुद राजनीतिक दलों को दोष दिया जाना चाहिए। संभवत: केवल मतदाता ही ऐसे नेताओं को ख़ारिज करके एक कड़ा संकेत दे सकते हैं। ❑❑

रोज़गार .....

कहां हैं बेरोज़गारों के लिए नौकरियाँ

पी॰ चिदंबरम

कुछ दिन पूर्व एक समाचार ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। यह तमिलनाडू में एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के लाइव रजिस्टर पर व्यक्तियों की संख्या के बारे में था।

कुल.....75,88,359

किस आयु के लिए

18 वर्ष से कम..... 1781,695

10-23 वर्ष 16,14,582

24-25 वर्ष 28,60,359

36-57 वर्ष 13,20,337

58 वर्ष से अधिक 11,386

यह निराशाजनक संख्याएं हैं। उल्लेखनीय है कि यह तमिलनाडू की हैं, तार्किक रूप से एक विकसित राज्य न कि उत्तर प्रदेश अथवा बिहार। उत्तर प्रदेश तथा बिहार, जो अधिक जनसंख्या वाले तथा कम विकसित हैं मैं बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या, यदि उन्हें खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, दिमाग़ को चकरा देने वाली होगी।

बेरोज़गारों के लिए कहां हैं नौकरियां? वे हमारे नज़र से छिपी हुई हैं। 31 मार्च 2021 को केन्द्र सरकार में 8,72,243 रिक्तियां थीं जिनमें से सरकार ने 78,264 रिक्तियां भरीं। स्पष्ट तौर पर 8 लाख पद खाली हैं। हर ओर नौकरियां हैं, लेकिन हम उन्हें खोजने के लिए प्रयास नहीं करते। हाल ही मैंने एक प्रसिद्ध कार्डियो थोरैसिक सर्जन डॉ. देवी शेट्टी की एक वीडियो रिकार्डिंग सुनी जिन्होंने अस्पतालों की एक श्रृंखला की स्थापना की है। डॉ. शैट्टी की बातचीत के कुछ अंश इस तरह है :

'हमारे सामने अंडरग्रेजुएट पदों तथा पोस्ट ग्रेजुएट पदों की एक गंभीर कमी है। 'यदि हम कैरेबियन क्षेत्र में जाएं, वहां 35 मेडिकल कॉलेज हैं जो अमरीका के लिए डॉक्टरों को परीक्षण दे रहे हैं, जो किराए के 50,000 वर्गफीट क्षेत्र में एक शॉपिंग मॉल में बना है और शानदार डॉक्टरों को परीक्षण दे रहा है। हम क्यों 400 करोड़ रुपए (एक मेडिकल कॉलेज पर) खर्च कर रहे हैं तथा क्यों ये इमारतें बना रहे हैं। यह मूर्खतापूर्ण है।

मेडिकल कॉलेजों को 100 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए 140 फैकल्टी मैंबर्स की जरूरत नहीं है। 140 फेकल्टी मैंबर्स 1000 विद्यार्थियों वाले मेडिकल कॉलेज को संचालित कर सकते हैं इसलिए जहां सारी दुनिया बदल गई है हम नहीं बदले।'

हमने चिकित्सा शिक्षा को एक संभ्रांतवादी मामला बना दिया है.. आज ग़रीब परिवारों से बच्चे डॉक्टर बनने का सपना नहीं लेते। इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। अपनी उंगलियों में जादू के साथ दुनियाभर में उत्कृष्ट डॉक्टर्स वंचित परिवारों वाली पृष्ठभूमि से आते हैं क्योंकि ये वे बच्चे होते हैं जिनमें कुछ करने की आग होती है, 24 घंटे काम करके खेल के नियम बदलने की।

क्यो प्रत्यंक 12 मिनट में एक गर्भवती महिला को बच्चे को जन्म देते समय मर जाना चाहिए? क्यों 3,00,000 बच्चे जन्म लेने के दिन ही मर जाते हैं। क्यों 12 लाख बच्चे अपना पहला जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। यह स्वीकार्य नहीं।

हमें 2,00,000 गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, हमारे पास 50,000 से कम है, इनमें से आधी भी प्रसूति का कार्य नहीं करती..हमें 2,00,000 एनेस्थेसिस्टम की ज़रूरत है, हमारे पास 50,000 से भी कम है। हमें बच्चों की देख-रेख करने के लिए 2,00,000 पेडियाट्रिशयंस की ज़रूरत है, हमारे पास 50,000 से कम है, हमें कम से कम 1,50,000 रेडियोलॉजिस्टस की ज़रूरत है। हमारे पास 10,500 से भी कम है।

इस देश को अतिरिक्त बजटीय आबंटन की ज़रूरत नहीं है, इस देश को मुक्त चिकित्सा, नर्सिंग तथा पैरामेडीकल शिक्षा की ज़रूरत है। डॉ. शेट्टी के अनुसार यहां हज़ारों नौकरियां हैं जो ज़रा से प्रयास के साथ केवल हैल्थ केयर सेक्टर में पैदा की जा सकती हैं। शिक्षा, शहरी विकास, नदियों तथा जलाशय, वानिकी, पशु धन, कृषि शोध तथा फूड प्रोसेसिंग आदि पर वही घिसा-पिटा तर्क लागू करें तथा लाखों नौकरियां पैदा नहीं की जा सकतीं, जो बदले में लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी पैदा करती हैं।

इससे भी अधिक, सरकारें डरपोक हैं। वे नौकरियां पैदा करने से डरती हैं जिनकी सरकारी क्षेत्र में अत्यंत ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने खुद को एक झूठे स्वप्न लोक में क़ैद कर लिया है कि 'छोटी सरकार अच्छी सरकार है।' सरकार को जानकारी का भी अभाव है। जैसा कि डॉ. शेट्टी कहती है, हम स्मारक बना रहे हैं। काम करने वाले तथा अपने आप में पर्याप्त मेडिकल कॉलेज और इस बीच बहुत सी महिलाएं, बच्चे तथा पीड़ित मर जाते हैं। ग़ैर उदारवाद डरपोक नज़रिए तथा ग़लत खर्चों पर उनके बिन्दुओं को सरकार के प्रत्येक विभाग में पाया जा सकता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह यह कि नौकरियां पैदा की जाएं जैसे कि 50,000 वर्गफुट शॉपिंग मॉल, मेडिकल कॉलेज, जिसकी डॉ. शेट्टी ने वकालत की है।

निडर विघनकारियों को कई चीजों के लिए दोष दिया जाता है लेकिन वे कुछ ऐसी चीज़ का निर्माण करते हैं जो पहले नहीं थी और इस प्रक्रिया में उन्होंने धन पैदा किया तथा नौकरियों की खोज की। ज़रा गोटलीब डेमलर, हैनरी फोर्ड, कें जीरो ताकायानागी, सैम वाल्टन, जॉन

बाक़ी पेज 11 पर

इस्लामी दुनिया

अफ़ग़ानिस्तान में खुले विवि लड़के-लड़कियां की पारी अलग

काबुल : अफ़ग़ानिस्तान में सभी विश्वविद्यालय फिर से खोल दिए गए हैं। तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद ताका ने कहा कि, सार्वजनिक विश्व विद्यालयों और संस्थानों को फिर से खोल दिया गया हैं। पुरुष और महिलाएक एक ही साथ, एक ही समय में कॉलेज नहीं आएं, इसके लिए अलग-अलग पारी में इनकी कक्षाओं का इंतज़ाम किया गया है। वहीं, कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालयों को खुलने पर खुशी का इज़हार भी किया है।

पेगासस : इस्राईली अख़बार पर एनएसओ ने ठोका मुक़दमा

तेल अवीव : पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने इस्राईली अखबार कैल्कैलिस्ट पर दस लाख डॉलर का मुकदमा ठोका है। अख़बार ने दावा किया था कि एनएसओ के स्पाईवेयर की मदद से इस्राईली पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे सहित कई मशहूर लोगों की बिना अदालती मंज़ूरी के जासूसी की थी। अख़बार के आरोपों के बाद इस्राईल ने न्याय विभाग ने आरोपों की जांच कराई जिसमें किसी तरह के दुरुपयोग के सबूत नहीं मिले। कंपनी ने अखबार के ख़िलाफ नाम खराब करने के लिए मुक़दमा दायर कर दस लाख डॉलर का मुआवज़ा मांगा है।

भारत के साथ मुद्दे सुलझने का यक़ीन : इमरान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान का कहना है कि उनका यक़ीन भारत के साथ सभी विवाद बातचीत के ज़रिये सुलझाने में है, लेकिन इसे पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए। एक टवीट में उन्होंने कहा कि बालाकोट के समय 27 फरवरी 2019 को हमने दिखा दिया था कि हमारी सेनाएं किसी भी हमले का आक्रामकता से जवाब देने में सक्षम हैं हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डूरंड लाइन पर तालिबान पाक में बातचीत

काबुल: डूरंड लाइन से लोगों की आवाजाही और व्यापार सहित कई दूसरे मुद्दों पर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच बैठक हुई। पजवोक अफगान न्यूज के मुताबिक, पाक के वाणिज्य सलाहकार रजाक दाऊद तालिबान के वाणिज्य मंत्री तोरखम से वार्ता करेंगे। इस अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. मोईद यूसुफ भी मौजूद रहे।

योगेश कुमार गोयल

यौन अपराध संकट में पड़ते बच्चे

हाल में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने बाल यौन शोषण सामग्री के ख़िलाफ़ बड़ा अभियान 'ऑपरेशन मासूम' चला कर छत्तीस घंटे के भीतर 95 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे यह पता चलता है कि बच्चों के यौन शोषण और अश्लील सामग्री का धंधा किस तेज़ी से पैर पसार चुका है। गूगल के अलावा वाट्सऐप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की भरमार समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ज़ाहिर है, बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से मिली सूचनाओं के आधार पर की थी। एनसीआरबी का एनसीएमईसी (नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन) नामक एक संगठन के साथ क़रार है, जो सोशल मीडिया पर बारीकी से नज़र रखता है और बच्चों के यौन शोषण व अश्लील गतिविधियों को चिह्नित कर आइपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) पते की मदद से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचता है और एनसीआरबी को इसकी सूचना देता है। एनसीआरबी इसकी सूचना पुलिस को देता है, ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके।

आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो बाल यौन शोषण की समस्या से ग्रस्त न हो। इसलिए यह समस्या वैश्विक स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाज़ें उठती रही हैं। पर दुख की बात यह है कि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से यह बुराई फैलती ही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में पिछले वर्ष पूर्णबंदी लागू होने के बाद से बाल अश्लील सामग्री का ऑनलाइन मांग में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। दिसंबर 2019 के दौरान इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की मांग सौ शहरों में औसतन 50 लाख प्रतिमाह थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद इसका उपभोग 95 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया।

न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित करीब दो करोड़ मामले सामने आए। इसके शिकार पीड़ित बच्चों में हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, लेकिन इनमें लड़कियों का अनुपात काफी ज़्यादा होता है। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2017 से 2020 के बीच तीन सालों में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के चौबीस लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें से अस्सी प्रतिशत पीड़ित चौदह साल से कम आयु की लड़कियां थीं। हालांकि बाल यौन शोषण से निपटने में इंटरनपोल काफी सक्रिय है। पिछले कुछ माह में इंटरनेपाल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद स केन्द्र सरकार को बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली साढे तीन हज़ार से भी अधिक वेबसाइटों को बंद करने में सफलता मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इंटरपोल के डाटा से स्पष्ट है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री और उसके ग्राहक तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

अश्लील सामग्री के उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के एक बड़े कारण के रूप में सामने आई है। ऐसी सामग्री देखने और खरीदने वाले लोग ज़्यादातर मामलों में मासूम बच्चों के साथ यौनाचार जैसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं। इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख़्त होती है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार अथवा गंभीर यौन आघात तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, ग़लत इरादे से छूना, अनुचित कामुक बातें करना, जबरन यौन कृत्य भी बाल अश्लीलता और यौन शोषण के दायरे में आते हैं।

एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में यौन उत्पीड़न को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण में करीब पांच गुना वृद्धि हुई। बाल शोषण के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। नासूर बनती इस समस्या के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से कुछ ही दिनों पहले सीबीआई ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा सहित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 77 स्थानों पर छापेमारी करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया था। दरअसल जांच में देशभर में ऐसे 70 से अधिक शहरों की पहचान हुई थी, जहां से बाल यौन शोषण कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। सीबीआई जांच के दायरे में पचास से भी ज़्यादा ऐसे इंटरनेट मीडिया समूह थे, जिनमें पांच हज़ार से भी अधिक अपराधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यमन, मिस्र आदि कई देशों में स्थित आरोपियों के साथ बाल शोषण सामग्री साझा कर रहे थे। इनमें से कई समूहों में विदेशी नागरिकों की भी संलिप्तता भी सामने आई और इनमें कम से कम सौ देशों के लोगों के शामिल होने का अंदेशा है

सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से साझा की गई अश्लील सामग्री के आधार पर इसे साझा करने वालों को भुगतान किया जाता है, ताकि ऐसी सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया समूहों में साझा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और बड़े पैमाने पर इसका प्रसार हो सके। इसलिए इस धंधे में लगे लोगों को पकड़ना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए कम चुनौतीभरा नहीं है हालांकि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों ने साफ्टवेयर बनाए हैं जो किसी भी इंटरनेट साइट पर बाल अश्लीलता से संबंधित कोई फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उससे जुड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं और संबंधित एजेंसियां फोटो तथा वीडियो साइट देख कर पता लगा लेती हैं कि वे किस मोबाईल या लैपटाप से इंटरनेट पर डाले गए है।

बात यौन शोषण व अश्लील सामग्री मामलों में अपराध साबित हो जाने पर कम से कम पांच वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही दोषियों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है, लेकिन आरोपी प्राय: कानूनी दांव-पेंच से बच निकलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित करते हुए पहली बार यह अपराध करने के लिए पांच वर्ष का कारावास और दस लाख रुपए जुर्माना और उसके बाद भी अपराध करने पर 06 वर्ष कारावास और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पाक्सो, अधिनियम (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) में भी बाल अश्लीलता के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में बच्चों के यौन अंगों के चित्रण, वास्तविक अथवा नक़ली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार के उपयोग को अपराध माना गया है।

दरअसल अश्लील सामग्री के उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के एक बड़े कारण के रूप में सामने आई है। ऐसी सामग्री देखने और खरीदने वाले लोग ज़्यादातर मामलों में मासूम बच्चों के साथ यौनाचार जैसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं। इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख़्त होती है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार अथवा गंभीर यौन आघात तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, ग़लत इरादे से छूना, अनुचित कामुक बातें करना, जबरन यौन कृत्य भी बाल अश्लीलता और यौन शोषण के दायरे में आते हैं। चूंकि बच्चे इन कृत्यों का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होते इसलिए वे इन अनैतिक कृत्यों में लिप्त अपराधियों के लिए बहुत आसानी से निशाना बन जाते हैं। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के ख़िलाफ़ देश में 2012 में पारित यौन अपराध के ख़िलाफ़ बच्चों के संरक्षण क़ानून सहित व्यापक कानूनी ढांचा है और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान है, लेकिन तकनीकी चूक, कार्यान्वयन में अनियमितता तथा त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बहरहाल, बच्चे चूंकि किसी भी राष्ट्र के विकास और उत्थान की नींव होते हैं और इस नींव की मज़बूती के लिए बेहद ज़रूरी है कि बाल यौन शोषण जैसी नासूर बनती समस्या के उन्मूलन के लिए बेहद कठोर क़दम उठाए जाएं।

भ्रष्टाचार निरोधक क़वायदों का सच

अखिलेश आर्येंदु

पिछले सात सालों से केन्द्र सरकार हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती आ रही है, जो ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर दिखता है। सरकार की भ्रष्टाचार खत्म करने और हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की बात सर्वेक्षणों से मेल नहीं खाती। ग़ौरतलब है कि भारत में पिछले सात सालों में भ्रष्टाचार का सूचकांक कम तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि उसे बेहतर कहा जा सके। 25 जनवरी, 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स' (सीपीआइ) 2021 जारी किया, जिसके मुताबिक भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। दुनिया के एक सौ अस्सी देशों में भारत का स्थान अब 50वां हो गया है हालांकि सौ अंकों के पैमाने पर दिए जाने वाले अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का अंक पहले की तरह चालीस ही है। एनडीए सरकार इस बात पर गर्व कर सकती है कि 2013 के बाद जब से उसने सत्ता संभाली है, भ्रष्टाचार के मामले में काफी सुधार आया है। ग़ौरतलब है कि 2013 में भारत का भ्रष्टाचार अंक 36 था, जो 2014-15 में अड़तीस हो गया था। ग़ौरतलब है कि रैंकिंग बढ़ते हुए क्रम में बेहतर होती गई है।

जिस गति से तमाम क्षेत्रों में सुधार की बात कही जा रही है, उस गति से भ्रष्टाचार में सुधार नहीं हो रहा है, यह चिंता का विषय ज़रूर होना चाहिए। ग़ौरतलब है कि दुनिया के भ्रष्ट देशों में दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पर है और डेनमार्क सबसे बेहतर हालात में है। अमेरिका की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी वह 27वें स्थान पर है। सीपीआई के अनुसार 131 देशों ने एक दशक में भ्रष्टाचार रोकने के ख़ास तरक्क़ी नहीं की। लेकिन इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारत में भ्रष्टाचार के मामले में कोई बेहतर हालात जल्द बनने वाले हैं। ग़ौरतलब है कि घोटालों के उजागर न होने का मतलब य नहीं लगाया जा सकता कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और अब आम आदमी को रिश्वत देने से छुटकारा मिल गया है।

भ्रष्टाचार का इतिहास देखें तो यह अंग्रेज़ों के ज़माने में ही शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों की भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति थी, कमोबेश आज़ाद भारत में भी वही अपनाई गई, जिससे भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया। अब तो भ्रष्टाचार को एक ऐसी लाइलाज बीमारी माना जाने लगा है, जिसकी कोई दवा नहीं है। विडंबना है कि इसकी चर्चा और निंदा सभी करते हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए कोई सच्चे मन से आगे नहीं आता। आज़ादी के बाद 1948 में 'जीप घोटाला' के बाद 1951 में मुदल मामला सामने आया, जिसकी चर्चा देशभर में हुई, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कोई न कोई घोटाले होते रहे। फिर दस वर्ष बाद 1962 में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम समिति का गठन किया। समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि पिछले सालों में मंत्रियों ने अवैध रूप से धन हासिल कर बहुत सारी संपत्ति बना ली है। इसके बाद 1971 में नागरवाला घोटाला और फिर 1986 में चर्चित बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर दलाली का आरोप लगाया गया था। इसके बाद केन्द्र सरकार के मंत्रियों पर कुछ सालों के अंतराल में घोटाले करने के आरोप लगते रहे। केन्द्र ही क्यों, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों पर भी घोटालों के आरोप लगाए जाते रहे, जिसमें लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला आज भी चर्चा में आता रहता है।

पिछले चार दशकों का केन्द्र महज़ राजनीति का क्षेत्र नही रहा, शासन, प्रशासन, पुलिस, बिजली, कचहरी, उद्योग, निवेश, बैंकिंग, जहाजरानी, सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, संचार माध्यमों मीडिया, नगर पालिका, नौकरशाहों, सेवा के सभी क्षेत्रों, कारपोरेट और कृषि मंडियों जैसे तमाम क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं पर, भारतीयों द्वारा अवैध धन बाहर के बैंकों में जमा करके सुरक्षित रखने की बात सभी जानते हैं। एनडीए सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने वादा किया था कि वह स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा कालाधन वापस लाएगी, लेकिन पिछले सात सालों में वह काला धन क्यों वापस नहीं ला पाई, यह एक रहस्य बना हुआ है। ग़ौरतलब है कि भारतीय ग़रीब है, लेकिन भारत कभी ग़रीब नहीं रहा है। स्विस बैंक के निदेशक का कहना है कि भारत के लगभग दो सौ अस्सी लाख करोड़ रुपए उनके बैंक में जमा है। यह रक़म इतनी है कि इससे साठ करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है और विश्व बैंक से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

भ्रष्टाचार से देश और समाज की आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। पड़ता तो न्याय व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, खुशहाली के मानकों और कल्याणकारी योजनाओं पर भी है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाला असर समाज को बेहद मुश्किल में डाल देता है। केन्द्र सरकार भारत को आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात करती है, लेकिन जिस गति से देश की अर्थ व्यवस्था आगे बढ़ रही है, उससे नहीं लगता कि कुछ ही सालों में भारत अमेरिका की तरह एक महाशक्ति बन जाएगा। कोई देश महाशक्ति तब बनता है जब उसकी तकनीक उन्नत किस्म की हो और उसे बाहर से आयत करने की ज़रूरत न पड़े। दूसरी बात, महाशक्ति बनने के लिए श्रम का मूल्य कम होना चाहिए, तभी देश उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर पाता है। ग़ौरतलब है कि भारत की अपेक्षा इस मामले में चीन बहुत आगे हैं। भ्रष्टाचार महाशक्ति बनने बहुत बड़ी बाधा हैं असमानता अगर किसी देश में कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है तो वह देश महाशक्ति बनने की राह में अभी बहुत पीछे है। देखना यह है कि भारत में असमानता और भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी है। यदि संतोषजनक नहीं है, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और असमानता को मिटाने की ज़रूरत है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाने चाहिए। साथ ही शासन, प्रशासन और श्रम जगत से संबंध रखने वाले सभी क्षेत्रों को भी ईमानदारी से अपने कार्य करने पडेंगे। देश की सुरक्षा की पहरुआ सेना में आने वाली भ्रष्टाचार की ख़बरों से यह प्रश्न उठता है कि क्या देश की सेना या उसके छोटे बड़े अधिकारी ईमानदार नहीं हैं? बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाला, आदर्श सोसाएटी घोटाला से यही लगता है कि सेना में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी तरह मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसमें पेड न्यूज़ और ग़लत समाचार पेश करना प्रमुख है, पर ग़ौर करना ज़रूरी है। इसी तरह नौकरशाही में बढ़ता भ्रष्टाचार और भेदभाव एक गंभीर समस्या है। कारपोरेट जगत में छाया भ्रष्टाचार आर्थिक बदहाली को बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण है। इस पर शिद्दत से ग़ौर करना ज़रूरी है और इसके लिए और कड़े कानून बनाया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने कई क़ानून बनाए हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता 1860, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, बेनामी लेन-देन अधिनियम, अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002, आयकर अधिनियम 1061 ओर लोकपाल अधिनियम 2013 प्रमुख है। लेकिन महज़ कानून बना देने से भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं लगता। इसे खत्म करने के लिए शासन, प्रशासन, राजनेता, कर्मचारी, अधिकारी और जनसामान्य को संकल्प लेना होगा। ❑❑

जिस गति से तमाम क्षेत्रों में सुधार की बात कही जा रही है, उस गति से भ्रष्टाचार में सुधार नहीं हो रहा है, यह चिंता का विषय ज़रूर होना चाहिए। ग़ौरतलब है कि दुनिया के भ्रष्ट देशों में दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पर है और डेनमार्क सबसे बेहतर हालात में है। अमेरिका की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी वह 27वें स्थान पर है। सीपीआई के अनुसार 131 देशों ने एक दशक में भ्रष्टाचार रोकने के ख़ास तरक्क़ी नहीं की। लेकिन इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारत में भ्रष्टाचार के मामले में कोई बेहतर हालात जल्द बनने वाले हैं।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाने चाहिए। साथ ही शासन, प्रशासन और श्रम जगत से संबंध रखने वाले सभी क्षेत्रों को भी ईमानदारी से अपने कार्य करने पडेंगे। देश की सुरक्षा की पहरुआ सेना में आने वाली भ्रष्टाचार की ख़बरों से यह प्रश्न उठता है कि क्या देश की सेना या उसके छोटे बड़े अधिकारी ईमानदार नहीं हैं? बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाला, आदर्श सोसाएटी घोटाला से यही लगता है कि सेना में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है।

ख़ास ख़बरें

नेपाल संसद में अमेरिकी मदद के एमसीसी कार्यक्रम को मंज़ूरी

काठमांडो:मुख्य विपक्षी सीपीएन-यूएमएल के तीखे विरोध के बीच नेपाल संसद ने अमेरिका की ओर से आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50 करोड़ डॉलर मदद वाले मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) कार्यक्रम को मंज़ूरी दे दी। लोकसभा में ध्वनिमत से इस मदद को मंज़ूरी मिलने के बाद नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के लिए कुख्यात चीन की चिंता बढ़ गई हैं।

चीन ने लॉंग मार्च-8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए

बीजिंग : चीन के नई पीढ़ी के रॉकेट लॉन्ग मार्च-8 से अंतरिक्ष में 22 उपग्रह स्थापित किए। एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में इतनी अधिक संख्या में उपग्रह भेजने का चीन का यह घरेलू रिकॉर्ड है। दक्षिण हैनान प्रांत में वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से छोड़े गए लॉन्ग मार्च-8 रॉकेट ने इन उपग्रहों को उनकी पूर्व निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया।

जापानी क्षेत्र के पास गिरी उत्तरी कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल

सियोल : उत्तर कोरिया ने पिछले दिनों (27 फरवरी) एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और जापान के अधिकारियों ने बताया कि फरवरी में यह पहला परीक्षण है। उत्तर कोरियाई मिसाइल जापान सागर में जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकदम करीब गिरी। दक्षिण कोरिया के ज्वाईट चीफस ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने यह जानकारी दी। चीन के प्रतिनिधि लियू जिओमिंग ने अमेरिकी दूत सुंग किम से कहा, अमेरिका को उत्तर कोरिया की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए।

ताइवान के पास अमेरिकी युद्धपोतों से भड़का चीन

ताइपे : अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान जलमडरूमध्य से गुज़रने की वजह से चीन भड़का हुआ है। हालांकि, अमेरिकी सेना ने इसे नियमित गतिविधि बताया हैं ताइवान की वायुसीमा में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद तनाव बढ़ गया है। इस इलाके की निगरानी करने वाली चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के पूर्वी थियेटर कमान ने कहा, अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का अर्ले बर्क-क्लास गाइडेड मिसाइल स्ट्रेट (जलमडमरूध्य) से गुज़रा। अमेरिकी नौसेना का यह कृत्य चीन को कार्रवाई के लिए उकसाने वाला है।

सलाम को आम कीजिए 2

एक अवसर पर सहाबा कराम ने आप सल्ल॰ से अर्ज़ किया कि लोगों को जन्नत में पहुंचाने वाले आमाल क्या है? आपने फरमाया, ''अल्लाह का खौफ़ और अख़लाक़े हसना।'' (तिर्मिजी)

जहां तक सलाम में सबक़त और उसका फैलाने और आम करने का संबंध है इस्लाम ही वही दुनियाभर के होकमा, फलासफा और तमाम ध र्मों के सरबराहों के नज़दीक ऐ इंसान के दूसरे इंसान से मिलने के समय प्यार व मुहब्बत के बोल के प्रयोग का अविवादित पैग़ाम है। शक्ले और शब्दावली अलग हो सकते हैं मगर प्यार और मुहब्बत सब में एक ऐसी क़दरे मुशतरक है जिसे सब ने अपनाया है, खुद आप सल्लल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले भी आपस में मिलते समय एक दूसरे को मुबारकबादी देने का रिवाज़ था, क़ौमों में नमस्ते, नमस्कार, राम-राम, गुड मार्निंग, या गुडनाईट जैसे अल्फाज़ का प्रयोग आम है लेकिन मज़हबे इस्लाम ने मुलाक़ात के इस अवसर को जिन आरास्ता और खूबसूरत अल्फाज़ से मुजयैन किया है, वह तमाम धर्म व मज़ाहिब के अल्फाज़ व मानी से लफ़्ज़ी व मानवी हर लिहाज़ से प्यारे और दिल को छू लेने वाले हैं। आप सल्लल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से मुलाक़ात के समय 'अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातोहू' कहने का तरीक़ा जारी किया जिस का मतलब यह है कि तुम पर अल्लाह की रहमत व सलामती हो - यह अल्फाज़ न केवल मोहब्बत व सलामती का शानदार पैग़ाम है बल्कि यह जामेअ दुआ भी है जिसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला तुमको तमाम बुराईयों, बलाओं, अफ़तों और तकलीफों से महफूज़ रखें।

कुरआन-ए-करीम और अहादीस मुबारका में बार-बार सलाम करने की तरग़ीब व तालीम दी गयी है, सूरह नूर में में इरशादे रब्बानी है 'पस तुम जब घरों में दाख़िल होने लगो तो अपने नफसों को सलाम करो, यह अल्लाह की ओर से मुबारक व पाकीज़ा तोहफा है, सूरह निसा की एक आयत का मफहूम है कि जब तुम्हें सलाम का तोहफा दिया जाए तो तुम भी उसे सलाम दो इससे बेहतर था इसी को लौटा दो जिसका मतलब यह है कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम्हें उसको बेहतर अल्फाज़ में जवाब देना चाहिए, वर्ना कम अज़ कम उन्हीं अल्फाज़ में जवाब दे दो जो अल्फाज़ उसने इस्तेमाल किए हैं।

एक हदीस पाक का मफहूम है रसूल करीम सल्ल॰ ने इरशाद फरमाया कि ''तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान न लाओ और तुम ईमान वाले नहीं जब तक आपस में मुहब्बत करो, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूं कि जब तुम उसे अख़्तियार करो तो वाहमी मुहब्बत पैदा हो जाए और वह अहम बात यह है कि अपने बीच सलाम को फैलाओ। (मुस्लिम)

सलाम में सबक़त बेशक आपसी रंजो मलाल और रंजिशों के खात्मे के लिए एक तीर वहदफ और नुस्खए कीमिया है। एक ऐसे दौर में जो निफाक, हसद, कीना और जुल्म व जब्र से भरपूर है, सलाम का शेबा एक ऐसा नुस्खा है जिस पर अमल करके हम जहां आपसी रंजिशों को समाप्त कर सकते हैं वहीं अपने माहौल को अमन व सलामती का गहवारा भी बना सकते हैं। इस्लाहे मुआशरा की कोशिशें बराबरी जारी हैं और किसी न किसी हद तक अल्लाह के फज़्ल से कामयाब भी हो रही हैं, हमारे इस्लाहे मुआशरा के करज़ार में संघर्ष करने वाले हज़रात अपने मौजूआत में अगर शेब-ए-सलाम का मौज़ू भी खसूसियत के साथ शामिल फरमा लें तो जहां यह खुद उम्मते मुस्लिम में आपसी उल्फत व मुहब्बत का जरिया बनेगा वहीं आज के शिद्दतपसंदाना माहौल में भी इन्शाअल्लाह अमन व सलामती का पैग़ाम साबित होगा। ❑❑

दुआओं के क़बूल होने का सिलसिला भी
हलाल रोज़ी से जुड़ा है

मानव दुनिया में बेहतर से बेहतर ज़िन्दगी गुज़ारने हर तरह के ऐश व आराम और दुनियावी ऐशपरस्ती की प्राप्ती की ख़ातिर हर समय संलग्न जुटा रहता है। उसकी इच्छा होती है कि वह कम से कम समय में अधि क से अधिक भौतिक लाभ प्राप्त करे ताकि, वह इसके बीवी बच्चे, मां बाप बहन, भाई, उच्च स्तर की ज़िन्दगी प्राप्त कर सकें। इन इच्छाओं की पूर्ति ज़ाहिरी तौर पर रोज़गार के बग़ैर संभव नहीं इसलिए हर व्यक्ति किसी न किसी अंदाज़ में ज़िन्दगी गुज़ारने और मनचाही सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिशों में जुटा रहता है और कुछ स्वार्थी तत्व इस सिलसिले में सारी दीनी, शरई, अख़्लाक़ी, कानूनी सीमाओं को तोड़कर सब कुछ प्राप्त करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं और वह दुनिया ही के होकर रह जाते हैं जबकि नेक लोग हलाल रिज़्क को वरीयता देते हैं। वह हर हाल में पवित्र और हलाल रोज़ी कमाने को ही पसंद करते हैं। ऐसे पवित्र वाले लोगों के माल में अल्लाह तआला खैरो बरकत अता फरमाता और इन्हें इत्मीनान क़ल्ब नसीब फरमा देता है।

अल्लाह तआला बन्दा मोमिन की **रोज़ी की तंगी व कुशादगी में अल्लाह तआला की हिकमत पोशीदा है। इस तरह दोनों की आज़माइश (परीक्षा) हो जाती है कि वह कितने शुक्रगुज़ार और मज़बूत रहते हैं इसलिए हर व्यक्ति को अपनी हालत और हिम्मत के अनुसार रोज़ी तलाश करने में कशमकश करनी आवश्यक है। कुरआन मजीद में मेहनत व संघर्ष की तरग़ीब इसी तरह दिलायी गयी है** दयानतदारी के माध्यम से हलाल रोज़ी के लिए की जाने वाली कोशिशों में अपनी रहमत से ख़ैर व बरकत का भाग शामिल कर देता है और ऐसे लोग प्रत्यक्ष रूप से कम सुविधाओं के बाजवूद संतुष्ट व खुश ज़िन्दगी गुज़ारते हैं जबकि हराम माल से इंसान ढेरो रुपए पैसे और दूसरे भौतिक संसाधन तो इकट्ठे कर लेता है लेकन उसे दिलयी संतुष्टी नहीं मिलती बल्कि हर समय धड़का लगा रहता है कि किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाए। व्यवसाय के दौरान या लेन देन में अल्लाह को याद रखें। जब अल्लाह तआला की ओर सोच हर समय मौजूद रहेगी तो फिर बन्दा मोमिन अवैध मुनाफाखोरी नहीं करेगा और न ही किसी भ्रष्टाचार चोर बाज़ारी या रिश्वत आदि जैसी लानतों में संलिप्त होगा

बाक़ी पेज 11 पर

नूरे क़ुरआन

(सूरा बक़रा नं॰ 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह किताब ऐसी है जिसमें कोई शंका नहीं।

अर्थात् इसके अल्लाह का कलाम होने और इसके तमाम विषयों के सच्चा होने में कोई शंका नहीं। किसी कलाम में शंका होने की दो सूरते हैं, 1. एक यह कि स्वयं कलाम में कोई त्रुटि हो, 2. दूसरे यह कि सुनने वाले की समझ में कमी हो। पहली दशा में कलाम में शंका होगी और दूसरी दशा में मनुष्य की बुद्धि में दोष है। कलाम बिल्कुल सच है। यद्यपि उसको अपनी बुद्धि की ख़राबी से कलाम में शंका ज्ञात होती है सो इस आयत में संदेह की पहली दशा से इंकार आया है, तो अब यह कहना निरर्थक हो गया कि कुरआन के अल्लाह का कलाम और सच होने में तो सब सच्चाई के इन्कारियों को संदेह था, फिर इस इन्कार का क्या अर्थ? बाक़ी रही दूसरी दशा सो उसको आगे चलकर बताया जायेगा।

मार्ग बतलाती है। (हूदंलल्लि मुत्ताक़ीन)

यहाँ से कुरआन के अंत तक उस दुआ (वन्दना) का जवाब है जो बन्दों की ओर से पहली सूरा में मांगी गयी थी।

अल्लाह से डरने वालों को।

अर्थात् जो बन्दे अपने अल्लाह से डरते हैं उनको यह किताब रास्ता बताती है क्योंकि जो अपने अल्लाह से डरता होगा उसको आज्ञाकारिता और अवज्ञाकारिता की अवश्य तलाश होगी और जिस इन्कारी के मन में अल्लाह का भय ही नहीं उसको आज्ञाकारिता की क्या चिंता और अवज्ञाकारिता से क्या भय.?

(अल्लाज़िना यूमिनूना बिल ग़ैयब)

जो लोग बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं।

अर्थात् वे वस्तुएं जो उन की बुद्धि और आंखों से छिपी हुई हैं, जैसे जन्नत दोखज़, फरिश्ते आदि, उन सब को अल्लाह और रसूल के बतलाने के कारण सच और विश्वसनीय समझते हैं। इस से ज्ञात हुआ कि इन बातों का इंकार करने वाला मार्ग दर्शन से वंचित है।

और नमाज़ की पाबंदी करते हैं।

नमाज़ की पाबंदी से तात्पर्य यह है कि उसको ठीक समय पर उसकी तमाम शर्तों को ध्यान में रखते हुए अदा करते हैं।

और जो हमने उनको रोज़ी दी है उसमें से ख़र्च करते हैं।

जितनी उपासनायें हैं वे तीन प्रकार की हैं। 1. प्रथम वे जो हृदय से सम्बन्ध रखती है, 2. जो शरीर से, 3. जो माल से संबंध रखती हैं। इस आयत में तीनों का वर्णन कर दिया।

और वे लोग ऐसे हैं जो उस किताब पर भी ईमान लाए जो आप की ओर उतारी गई है और उन किताबों पर भी जो आप से पहले उतारी जा चुकी हैं और आख़िरत को भी वे लोग सत्य मानते हैं।

पहली आयत में उन लोगों का बयान था जो मुशरिक थे और उन्होंने ईमान स्वीकार किया अर्थात् मक्का वाले और इस आयत में उन लोगों का वर्णन है जो अहले किताब (अर्थात् ईसाई और यहूदी) ईमान ले आये।

वे ही लोग अपने पालनहार की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वे ही सफल हैं।

अर्थात् ईमान लाने वाले इन दोनों वर्गों को दुनिया में मार्ग दर्शन हुआ और आख़िरत में उनको हर प्रकार की मुराद मिलेगीं इस से ज्ञात हो गया कि जो लोग ईमान और नेक कार्यों से वंचित रहे उनकी दुनिया और आख़िरत दोनों बर्बाद हैं। इन दोनों ईमान वाले वर्गों का वर्णन करने के पश्चात् इन्कारियों की दशा का वर्णन किया जाता है।

निःसंदेह जो लोग सच्चाई से इंकारी हो चुके, बराबर है उनके लिए चाहे आप उनको डरायें या न डरायें (अल्लाह के अज़ाब से) वे ईमान नहीं लाएंगे।

इन इन्कारियों से तात्पर्य विशेष रूप से उन लोगों से है जिनके लिए इंकार निश्चित हो चुका है और ईमान की दौलत से सदैव के लिए वंचित कर दिये गये। जैसे अबू जहल और अबू लहब आदि अन्यथा प्रत्यक्ष है कि बहुत से लोग जो इनकारी थे ईमान लाये और लाते रहते हैं।

महज़ आंकड़ा नहीं जनगणना

सुरजीत मजूमदार

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोविड-19 के चलते जनगणना में देरी की बात कही है। उन्होंने सदन को बताया है कि 28 मार्च 2019 को ही भारत के राजपत्र में इसे अधिसूचित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस काम को अगले आदेश तक टाल दिया गया है हालांकि, देश और समाज के लिहाज़ से जनगणना के महत्व को देखते हुए इसे लंबे समय तक रोके रखना उचित नहीं हे। वैसे भी, जब अन्य सारे दैनिक कामकाज सामान्य रूप से हो रहे हैं, तब इस कार्य को स्थगित रखने का कोई अर्थ नहीं था।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनगणना के आंकड़े अन्य तमाम आंकड़ों से काफी अलग होते हैं। जहां अन्य आंकड़े सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं, जिसमें कुछ लोगों से बातचीत करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, तो वहीं जनगणना की प्रक्रिया घर-घर जाकर पूरी होती है। यह उन निष्कर्षों की सत्यता पर मुहल लगाती है, जो अलग-अलग सर्वेक्षणों से हमें मिलते हैं। जनगणना उन आंकड़ों की कलई भी खोलती है और संशोधन की ज़रूरत (यदि हो तो) भी बताती है

इसके आंकड़े हमें बताते हैं कि देश में जनसंख्या का फैलाव कहां, कितना और कैसा है? बहुत बारीक तौर पर तो नहीं, लेकिन सतही तौर पर ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि लोग किन-किन आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं। जैसे, 2011 की जनगणना से हमें पहली बार पता चला कि देश में किसानों की संख्या में गिरावट आई है। यहां किसान का अर्थ है कृषि उत्पाद पर नियंत्रण रखने वाली आबादी। वर्ष 2001 में न सिर्फ किसानों की आबादी में कमी देखी गई, बल्कि खेतिहर मज़दूरों की संख्या में वृद्धि का पता चला। इसका अर्थ था कि एक बड़ी आबादी किसान से खेतिहर मज़दूर बन गई। क्या इस प्रवृत्ति पर 2011 से 2021 के बीच रोक लगी या इसमें कमी या बढ़ोत्तरी हुई है? इसकी सही तस्वीर तो नई जनगणना से ही सामने आएगी।

कृषि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर हम यही जानते हैं कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल रही है और लोग खेती-किसानी छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में काम ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कृषि से उनकी जीने के लिए न्यूनतम आय नहीं हो रही। मगर कुछ सर्वेक्षणों ने यह भी बताया है कि रोज़गार में जुटी आबादी का प्रतिशत घट रहा है। काम से अमूमन महिलाएं बाहर रहा करती थीं, लेकिन अब इसमें पुरुषों की संख्या भी बढ़ रही है, यानि कृषि छोड़ दूसरी गतिविधियों का हिस्सा बनने को आतुर आबादी को भी शायद ही रोज़गार मिल पा रहा है। क्या वाक़ई ऐसा है? इसकी वास्तविक और प्रामाणिक तस्वीर भी हमें जनगणना से मिलेगी।

जनगणना का एक और महत्व है। शहरों और गांवों में फर्क आमतौर पर प्रशासनिक ढांचों (पंचायत, नगर निगम, महानगरपालिका आदि) से होता है। मगर जनगणना में फर्क का एक और मापक है। इसमें यह देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का चरित्र क्या है? अगर किसी इलाके में ग़ैर कृषि कार्यों में जुटी आबादी का प्रतिशत ज़्यादा होता है, तो जनगणना उसे शहरी इलाक़ा मानती है। पिछली जनगणना में शहरी आबादी में बढ़ोत्तरी इसी कारण से हुई थी। उस समय शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ी थी, बल्कि कई क्षेत्रों में चरित्र में बदलाव हो गया था। ज़ाहिर है, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल रहा है, इस तरह की जानकारियाँ काफी अहम हो जाती हैं।

यह कवायद हमें बताती है कि अलग-अलग क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न क्या है, काम काज की तलाश में लोगों का पलायन कितना हो रहा है, विस्थापन की वजहें क्या है आदि? समाज और अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में इस तरह के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित है। संगठित क्षेत्र के प्रामाणिक आंकड़े तो हमें कई तरीके से मिल जाते हैं। कंपनियों द्वारा आयकर अथवा टीडीएस काटना भी हमें संगठित क्षेत्र की हक़ीक़त कमोबेश बता देता है। मगर असंगठित क्षेत्र को यह लाभ हासिल नहीं है। सैंपल सर्वे में हम महज़ अनुमान लगाते हैं। अगर तय वक़्त पर जनगणना के आंकड़े जारी न हो, तो फिर सैंपल सर्वे के निष्कर्षों पर भी शक बढ़ता जाता है। लिहाज़ा, केवल लोगों की संख्या जानने के लिए नहीं, बल्कि देश की योजनागत तैयारियों के लिए भी जनगणना बहुत ज़रूरी है।

दिक्क़त यह है कि जनगणना को ही सिर्फ नहीं टाला गया है, बल्कि जो अन्य सर्वे किए जाते हैं, उनको भी या तो पिछले कुछ सालों में पूरा नहीं किया गया अथवा उनके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मसलन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की उस रिपोर्ट को लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था, जिसमें बेरोज़गारी दर के पिछड़े साढ़े चार दशक में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत होने की बात कही गई थी, जबकि फरवरी, 2019 में भी यह रिपोर्ट 'लीक' हो गई थी। इसी तरह, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए जाने वाले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 2017-18 के आंकड़ों को जारी न करने का फैसला किया गया, जबकि मीडिया में ऐसी चर्चा थी कि यह रिपोर्ट उपभोक्ता खर्च गिरने का संकेत दे रही है। यहां यह समझना होगा कि आंकड़ों या उसे तैयार करने की प्रक्रिया का सार्वजनिक होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में फैसले लेने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसमें आंकड़ों की अहम भूमिका है। यदि विशेषज्ञों के पास सही आंकड़े नहीं होंगे, तो वे सार्वजनिक बहसों में अपनी भूमिका नहीं निभा सकेंगे। इन्हीं बहसों के आधार पर तो देश तय करता है कि उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और उसे कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए?

बहरहाल, कोविड की वजह से ही यह काम रोका गया है या जातिगत जनगणना संबंधी राजनीतिक मांग की वजह से, इसका जवाब तो अभी सही-सही नहीं दिया जा सकता, लेकिन आंकड़े तैयार करना ज्ञान की प्रक्रिया का गंभीर हिस्सा है। जनगणना चूंकि हरेक हिन्दुस्तानी की गणना है, इसलिए इसका खास स्थान है। वैसे भी, यह एकमात्र ऐसी कवायद है, जिसमें एक-एक भारतीय की हक़ीक़त के कुछ न कुछ पहलू जुटाए जाते है। ❑❑

जम्मू कश्मीर

सवालों में उलझा परिसीमन

एक नवस्वतंत्र राष्ट्र को बुलंदियों तक ले जाने के इरादे से हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक राह चुनी और एक ऐसे लचीले संविधान का निर्माण किया, जो बदलते वक़्त व परिस्थितियों के अनुरूप देश की उम्मीदों पर खरा उतर सके। इस क्रम में ऐसी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जो निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करती रहें। इसी दरकार के साथ देश में निष्पक्ष चुनावों को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मद्देनजर विभिन्न लोकसभा व विधानसभाओं की सीमाओं के निर्धारण के लिए विभिन्न परिसीमन आयोगों के गठन का प्रावधान भी किया गया। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक सरकार हर दशक (10 वर्ष) के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर विभिन्न विध ानसभा व लोकसभा क्षेत्रों का निध र्िरण होता है। अब तक भारत में 1952, 1963, 1973, व 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है।

जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए मार्च 2020 में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकलापों से यह प्रतीत हो रहा है कि यह आयोग क़ानूनी व संवैधानिक प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि देश के किसी भी राज्य में लोकसभा व विधानसभा की सीटों की सीमाओं के निर्धारण का यदि कोई एकमात्र आधार हो सकता है तो वह जनसंख्या ही हैं जनसंख्या के आधार पर ही सीटों की संख्या तय होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में सीटों को बढ़ाने के लिए जिस किस्म की दलीलें खुद आयोग की ओर से दी गई है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

जम्मू कश्मीर में पिछला परिसीमन आयोग जीडी शर्मा (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में बनाया गया था। आयोग ने 1981 की जनगणना के अनुसार सीटों का निर्धारण किया। 1981 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर की संख्या 59,87,389 थी, जिसमें लद्दाख की जनसंख्या 1,32,372 भी सम्मिलित है। 1995 में जिलों की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया। परिसीमन आयोग 1995 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 111 सीटों का निर्धारण किया गया जिनमें 87 सीटें जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए बनाई गई। जिनमें 37 सीटें जम्मू क्षेत्र 46 कश्मीर क्षेत्र व चार सीटें लद्दाख क्षेत्र के लिए बनाई गई। पाक द्वारा ग़ैर कानूनी कब्ज़े वाले कश्मीर क्षेत्र के लिए 24 सीटें बनाई गईं।

जस्टिस जीडी शर्मा आयोग के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी संगठन ने क्षेत्रफल के हिसाब से सीटों का निर्धारण किए जाने की मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि जम्मू क्षेत्र में 26000 वर्ग किमी और कश्मीर क्षेत्र में 15210 वर्ग किमी और बाकी 57000 वर्ग किमी लद्दाख में आता हैं आयोग ने जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा किया, जो लागू किया गया। अभी तक जम्मू कश्मीर (लद्दाख क्षेत्र छोड़कर) में 83 विधान सभा सीटें ही थी। वहां की विधान सभा व लोकसभा परिसीमन करने के लिए भारत सरकार ने 06 मार्च 2020 को जस्टिस रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में नया परिसीमन आयोग बनाया जिसका काम 2011 के जनगणना जनसंख्या के अनुसार सीटों का विभाजन करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक विधानसभा की औसत जनसंख्या 1,36,300 है।

20 दिसंबर 2021 को एक प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निकाला गया, जिसमें इसी दिन हुई बैठक का हवाला दिया गया कि परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9 (1अ) को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 (2इ) के साथ पढ़ा जाता हे, जो इस प्रकार हैं -

सभी निर्वाचन क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संग्रहीत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाईयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा। इसमें ज़िलों की संख्या 12 से 20 व तहसीलों की संख्या 52 से 207 करने का ज़िक्र किया गया है। जनसंख्या के घनत्व का भी हवाला दिया गय, जिसके अनुसार किश्तवार ज़िले में 29 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर व श्रीनगर जिले में 3436 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया है।

गौरतलब है कि आज तक जब भी भारत सरकार ने लोकसभा या विधानसभा के लिए कभी भी परिसीमन किया है, उसे जनगणना के जो आंकड़े उपलबध है, उनके अनुसार किया गया है। सभी परिसीमनों का आधार केवल और केवल जनसंख्या को रखा गया है। इसके अलावा कोई और आधार अगर परिसीमन में लाया जाता है, तो वह ग़ैर कानूनी होगा।

निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में किश्तवार ज़िले में 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या बताया गया है जो सही नहीं है। किश्तवार जिले का क्षेत्रफल 1644 वर्ग किमी है और उसकी जनसंख्या 2,30,696 है, जो 140 व्यक्ति व्यक्ति वर्ग किमी बैठती

बाक़ी पेज 11 पर

नीलामी में क्यों बिकने चाहिएं क्रिकेटर

आज इस देश में बहस के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव उत्सव माने जाते हैं, क्योंकि चुनाव के ज़रिये समाज से सही और सच्चे को चुनने की उम्मीद लगाई जाती है। ठीक उसी तरह उद्योग या बाजार पर समभाव की आर्थिक व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी रहती है। यह सही है कि बाज़ार हमारे समाज का अहम हिस्सा है, जो खरीदार की मांग से चलता है लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल में वस्तु की जगह व्यक्ति या खिलाड़ी बिकते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों को धनी बनाने के लिए उनकी नीलामी होती है। अमुक खिलाड़ी इतने में बिका या उतने में खरीदा गया। या अमुक खिलाड़ी को किसी भी मालिक ने नहीं खरीदा। यानि बहस जारी है, लेकिन विचार ग़ायब है।

पिछले दिनों बंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की मंडी सजी थी। कुल 10 फ्रेंचाइजी टीम मालिक दुनियाभर के करीब 600 क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी में जुटे थे। वहां बोली लगी और खिलाड़ियों को खरीदने बेचने का खेल शुरू हुआ। टीवी पर सीधे प्रसारण में खेल फिर शर्मसार हुआ। खेल प्रेमियों को यह जताया जाता रहा है कि नीलामी ही वह व्यवस्था है, जिससे क्रिकेट खिलाड़ियों को खूब धन दिलाया जा सकता है। इससे क्रिकेट प्रेमियों को बरगलाया जाता है जबकि दुनियाभर में किसी भी खेल में खिलाड़ियों की नीलामी नहीं होती है। अन्य खेलों के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और मैदान पर अच्छा खेलने से धन कमाते हैं। प्रतिभा और अच्छे खेल से धन कमाना सरेआम नीलाम होने से कहीं ज़्यादा सम्मानजनक सौदा है।

नीलामी दरअसल वह प्रक्रिया है, जिसमें वस्तु को खरीदने-बेचने के लिए या कैसी भी सेवा प्रदान करने के लिए बोली लगाई या ली जाती है। किसी भी वस्तु को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाता हैं या सबसे नीचे बोली लगाने वाले से खरीदा जाता है। नीलामी में टीम मालिकों के सामने क्रिकेट खिलाड़ियों को व्यक्ति के बजाय वस्तु माना जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों को नीलामी असम्मानजनक आख़िर क्यों नहीं लगती है? और क्रिकेट प्रेमी अपने चहेते खिलाड़ियों को नीलाम होने ही क्यों दे रहे हैं? क्रिकेट का भरपूर आनंद और रोमांच देने वाले बेहद लोकप्रिय आईपीएल में नीलामी वस्तुत: एक काला धब्बा है।

घोड़े ज़रूर नीलाम होते हैं, लेकिन कमाई के धन की समझ घोड़े को नहीं होती। उसके दौड़ने की प्रतिभा या कला कौशल से भी उसका कोई लेना-देना नहीं रहता। प्रश्न है कि क्या टीम मालिक खरीदे गए क्रिकेट खिलाड़ियों को घुड़दौड़ के घोड़ों के रूप में देखते हैं। यह माना कि कलाकारी बिकती है, लेकिन क्या कलाकार भी बिकने चाहिए? क्रिकेट का खेल एक कला है। जब क्रिकेट के खिलाड़ी नीलामी में बिक रहे हैं, तो फिर खेल खरीदने बिकने से किस तरह बचा रह सकता है? खेल समृद्ध होता है, तभी तो खिलाड़ी भी सम्पन्न होते हैं। प्रश्न यह है कि खेल को समृद्ध बनाने के लिए खिलाड़ी को नीलाम करना क्यों ज़रूरी है। दुनिया की सबसे समृद्ध फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग में सभी खिलाड़ी सम्पन्न हैं, लेकिन वहां कोई भी खिलाड़ी नीलाम नहीं होता। पिछले वर्ष कोरोना काल में इस लीग के टीम मालिकों के बीच सांठगांठ हुई और टीवी कंपनी से मिलकर एक अलग यूरोपीय लीग कराने का फैसला लिया गया। वैसे में नज़रअंदाज़ किए गए फुटबॉल प्रेमी जब विरोध में सड़कों पर उतरे तो लीग रद्द हुई। तब टीम मालिक और आयोजकों को समझ में आया कि असल खेल चलाने वाले तो फुटबॉल प्रेमी ही हैं।

बाक़ी पेज 11 पर

टीम इंडिया ने टी-20 में श्रीलंका का किया सूपड़ा साफ

आवेश ख़ान और सिराज की धारदार गेंदबाज़ी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज़ पस्त

गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन के बाद 'मैन ऑफ मैच' श्रेयस अयर (नाबाद 73) की पारी से भारत ने श्रीलंका को तीसरे टी-20 में 19 गेंद शेष रहेत छह विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। श्रेयस ने लगातार तीसरे मैच में अर्द्धशतक लगाकर, तीनों बार नाटआउट ही रहे। भारतीय टीम की इस प्रारूप में यह लगातार 12वीं जीत है और इसके साथ ही उसने अफग़ानिसतान के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। आवेश ख़ान (2/23), और सिराज (1/22) के प्रदर्शन के आगे पहले बल्लेबाज़ी करने उतनी श्रीलंका टीम 05 विकेट पर 146 रन ही बना पाई। भारत ने 16.5 ओवरों में 4 विकेट पर 148 रन बनाकर तीसरे मैच और श्रृंखला को भी अपने नाम किया। इससे पहले श्रीलंका की शुरूआत खराब रही थी। भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाज़ी के चलते 13वें ओवर में आधी टीम 60 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। दासुन ने 38 गेंदों में 74 रन बनाए।

इस प्रारूप में भारत ने सातवीं बार द्विपक्षीय सीरीज में सूपड़ा साफ किया है। इसमें पांच बार रोहित की कप्तानी में यह उपलब्धि प्राप्ति की है। भारतीय टीम की यह घरेलू मैदान में टी-20 में 40वीं जीत है। इसस पहले न्यूजीलैंड ने अपने घर में 39 टी-20 मैचों में जीत हासिल की थी।

श्रीलंका के ख़िलाफ इस प्रारूप में भारत की 17वीं जीत है। किसी एक टीम के खिलाफ यह रिकार्ड भी है। रोहित शर्मा इस तीसरे टी-20 मैच में उतरते ही इस प्रारूप में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हो गए। उनका यह 125वां मैच रहा। उन्होंने अपना पहला टी-20 मैच 2007 के विश्व कप में खेला था। इससे पहले वह पाकिस्तान के शोएब मलिक (124) के साथ टी-20 मैच बराबरी पर थे।

मध्य रात्रि को जब भूख लगे तो ट्राई करें ये हल्के फूड

आजकल कोरोना के कारण अपने खाने-पीने की चीज़ों को लेकर अति सतर्क हो गए हैं। फिर कई बार जाने अनजाने में अधिक लज़ीज़ खाना न मिलने या दावत में अधिक खाने के बावजूद मध्य रात्रि के समय आप को भूख लग सकती है। आज के समय में अधिकतर लोग रात को देर से सोते हैं, कुछ लोग देर रात तक टीवी तो कुछ लोग फोन देखने की आदत हो गई है। देर रात जागने की वजह से उनको आधी रात में भूख लगने लगती हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने फ्रिज या रसोई में रखी हुई खाने की वस्तुएं ढूंढने लगते हैं जैसे चिप्स, नमकिन, बिस्कुट आदि खा लेते हैं, लेकिन रात के समय में ये फूड आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, इसलिए हम आपको आज कुछ हेल्दी फूड खाने की जानकारी दे रहे हैं जो फूड आपकी भूख को शांत करके सेहत को हेल्दी बनाते हैं।

ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स जितना देखने में अच्छे लगते हैं उतना ही खाने में भी अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका कम मात्रा में भी सेवन करके आपका पेट भारी हुआ महसूस होता है। ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के बहुत से पोषण तत्व की पूर्ति करता है और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ कमज़ोरी भी दूर करता है इसलिए ये आपकी राहत की भूख को शांत करने के लिए सही साबित हो सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को काटने या पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है।

हल्दी वाला दूध

रात में भूख लगी है तो हल्दी वाला दूध एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक ग्लास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से आपकी भूख से राहत मिलेगी। हल्दी वाला दूध से आपको अच्छी नींद लेने में भी मदद मिलेगी। हल्दी वाला दूध सेहत के फायदेमंद होता है।

पॉपकॉर्न

पॉपकॉर्न एक सेहतमंद स्नैक्स है जो कम समय में बनने वाला स्नैक्स है। यदि आपको रात में भूख लगती है तो आप पॉपकार्न ट्राई कर सकते हैं। इसमें नमक, चीनी और कैलोरी नैचुरली कम होती है। इसमें नैचुरल फाइबर होता है जो भूख मिटाने में मदद करता है।

चीज़ का सेवन करें

यदि आपको आधी रात को भूख लगे तो आप चीज़ का सेवन कर सकते हैं। रात के समय अधिक मात्रा में प्रोटीनयुक्त स्नैक्स अच्छा माना जाता है। अगर आप प्योर और अनप्रोसेस्ड चीज़ खा रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद होती है। चीज़ की जगह हाई प्रोटीन व फाइबर युक्त ग्रीक योगर्ट भी खा सकते हैं।

पिस्ता कर करें सेवन

हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर पिस्ता भूख मिटाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आप रात में स्नैक्स के रूप में छिलके वाला पिस्ता खा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 25-30 पिस्ता खा सकते हैं।

फ्रूट्स खाएं: फल हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उपयोगी होते हैं यदि आपको आधी रात फलों का सेवन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए फलों का सेवन करना उचित भी होता है। फाइबर युक्त फल हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन रात के वक्त आपको बहुत ज़्यादा मीठे फल खाने से बचना चाहिए, सेहत के लिए उपयोगी पोषक तत्व वाले फलों को ही खाएं।

सूप का करें सेवन

सूप एक संतुलित आहार है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपको आधी रात को भुख लग रही है और कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो आपकी सेहत के लिए सूप एक बेहतरीन आहार है। इसे बनाने में भी कम समय लगता है। सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए सूप का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही सूप को बनाना काफी आसान होता है।

केले का करें सेवन: अगर आपको रात में भूख लगी है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप केले खा सकते हैं। इसमें मौजूद मेलाटोनिन और पोटेशियम आपके टेस्ट बड्स को संतुष्ट करने के साथ ही आपकी भूख भी मिटा देते हैं।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

सिद्धांत भारत की विविध संस्कृतियों के एकीकरण और भौगोलिक संप्रभुता का है।

इसमें सामाजिक न्याय को सांझा विचार (कॉमन फैक्टर) बनाने के पीछे उद्देश्य यही लगता है कि भारत की सामाजिक संरचना में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से पिछले पायदान पर खड़े लोगों को उनके क्षेत्र व राज्य की पहचान पर खड़े लोगों को उनके क्षेत्र व राज्य की पहचान के निरपेक्ष एक ही छाते के नीचे समन्वित राजनैतिक दलों के साये में खड़ा किया जाये और इसे राजनैतिक विमर्श में बदला जाये। इसमें सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि टुकड़ों में बिखरे विपक्षी दल किस प्रकार अपनी निजी आकांक्षाओं को संभालते हैं क्योंकि ममता दी कह रही हैं कि केवल उनकी पार्टी के झंडे के नीचे विपक्ष मज़बूत हो सकता है वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी. राव अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं। वह भी यहीं कह रहे हैं। ❑❑

शेष.... कहां हैं बेरोज़गारों ....

मिशेल तथा मार्टिन कूपर (मोटोरोला), स्टीव जॉब्स, जैफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क तथा उनकी पथप्रवर्तक खोजों के बारे में सोचें जिन्होंने लाखों नौकरियां पैदा की है, जैसा पहले नहीं था।

भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज़रूरत नौकरियां हैं। जिन क्षेत्रों के बारे में मैंने ऊपर बताया है उनमें अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, आर्ट एंड क्राफ्टस गुरुओं, कोचों, लैब टेक्नीशियनों, डिजाइनर व आर्किटेक्टस, शहरी योजनाओं, इंजीनियरों, वन रक्षकों, मछली पालकों, पशु चिकित्सकों, दूध उत्पादकों, पोल्ट्री फार्मर्स आदि जैसी लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। जो आगे सैकड़ों श्रेणियों में बंटे हुए हैं। एम.एम.एम. ईज, विशेषकर छोटी तथा मध्यम इकाइयां नौकरियां पैदा करने वाली सर्वाधिक उर्वर इकाइयां हैं। एक बार जब नौकरियां पैदा हो जाती हैं तो वे अपना खुद का चक्र शुरू कर देती हैं - संबंधित नौकरियां, आय, सम्पत्ति, कर राजस्व, पर्यावरण की देखभाल, परोपकार, फाइन आर्ट्स तथा साहित्य के लिए समर्थन आदि।

लेकिन नौकरियों के बारे में कौन सोच रहा है? केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, जबकि इसके कार्यालयों के ठीक बाहर खोजा जाने के लिए एक बड़ा अवसर प्रतीक्षा कर रहा है और न ही वित्त मंत्रालय जिसने 2022-23 के लिए मोदी सरकार का बजट प्रस्तुत किया। 90 मिनट के 157 पैराग्राफ के बजट भाषण में शब्द 'नौकरियां' तीन जगह आया। ❑❑

शेष.... जम्मू कश्मीरः सवालों में....

है, न कि 29। इसी तरह श्रीनगर जिले की कुल जनसंख्या 12,36,829 है, जो 625 प्रति वर्ग किमी बैठता है न कि 3436, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने बताया हैं दिलचस्प है कि जम्मू कश्मीर ने 1995 में किए गए परिसीमन के समय भी प्रति वर्ग किमी क्षेत्र के प्रश्न जस्टिस जीडी शर्मा आयोग के सामने रखे थे, जिसे उसने नहीं माना। भारत में इस प्रकार के कई जिले हैं जहां प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जम्मू कश्मीर से बहुत कम है। ज़ाहिर है इस तरह के गैर तार्किक आधार पर किए गए परिसीमन से आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।

शेष.... नीलामी में क्यों ....

पहले मैदान पर क्रिकेट देखने आने वाले खेल प्रेमियों से खेल चलता था उसके बाद क्रिकेट टीवी पर दिखाया जाने लगा, लोकप्रिय खेलों को टीवी पर दिखाने के लिए प्रायोजकों का प्रचार होने लगा। क्रिकेट चलाने में उद्योग या बाज़ार का धन लगने लगा। खेलों में धन आया तो खिलाड़ी भी सम्पन्न हुए। मगर बाज़ार के मुनाफे के मकसद भी बनाए गए। बाजार खुद को खेल और खिलाड़ियों का मालिक मानने लगा। फिर खिलाड़ी और मालिकों के बीच गठजोड़ हुआ, तो खेल प्रेमी सिर्फ टीवी के दर्शक भर ही रह गए। आज उद्योग के धन और बाजार के प्रयोजन से ही क्रिकेट का खेल होता है।

आईपीएल में क्रिकेटरों की नीलामी को सही ठहराने वाले लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों को उनके खेल जीवन-यापन के लिए ज़रूरी धन इसी तरह मिल सकता है। लगन से, मेहनत कर, जी-जान लगाने वाले खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा, कौशल और अच्छा खेलने के लिए खूब धन मिलना ही चाहिए। खेल की आयु चूंकि जीवन की उम्र से छोटी होती है, इसलिए खिलाड़ियों के खूब कमाने में किसी को नाक-भौं नहीं सिकोड़नी चाहिए। लेकिन नीलामी के धन से खेलने की नैतिकता तय नहीं होती। खेल का कौशल तय नहीं होता। इससे खिलाड़ी की सही कीमत या मूल्य भी तय नहीं होता। हां, धन के गुलाम खिलाड़ियों पर मालिकाना हक़ ज़रूर तय होता है। नीलामी सिर्फ अंधेर नगरी चौपट राजा/टके सेर भाजी, टके सेर खाजा का आभास कराती है। क्रिकेट प्रेमियों को अपना प्रेम दर्शाना होगा, क्योंकि यह हमारा खेल है, क्रिकेटरों की नीलामी इस रूप में देखना बेशक बहुत अप्रिय लगता है। इससे कभी न कभी क्रिकेट का स्तर एकदम से नीचे गिरेगा, भविष्य में! ❑❑

शेष.... दुआओं के क़बूल होने का सिलसिला....

बल्कि हर हाल में बंदा मोमिन रब ताअला के खुशनूदी की बदौलत अपने सारे मामलों में दुरुस्तगी का पहलू अग्रणी रखेगा।

यह रब ताआला की व्यवस्था है कि वह किसी को फराखती तो किसी को तंगी अता फरमाता है ताकि समाज में इंसाफ़ रहेगा और इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहे। अगर सब ही मालदार हों तो फिर विभिन्न सेवाओं के मानव संसाधन पैदा होने बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगर सब ही ग़रीब हों तो रोज़गार के साधन न रहेंगे। दुनिया का सिस्टम इसी तरह चलता रहता है कि किसी को ऊपर तो किसी को नीचा रखा गया है ताकि एक दूसरे की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और कोई किसी से असम्बद्ध भी न रहें कि किसी की नज़र में दूसरे की महत्ता ही न रहे। इसलिए अल्लाह तआला ने इस बंटवारे को यूँ बयान फरमाया है (अनुवाद) ''हमने लोगों की रोज़ियों को दुनिया की ज़िन्दगी में बांट दिया है। किसी को दर्जे में ऊंचा कर दिया है किसी को उससे कम। (सूरहतुल ज़ुखरफ) एक स्थान पर इसी तरह बयान फरमाया (अनुवाद) ''अल्लाह तआला जिसकी रोज़ी को बढ़ाना चाहता है बढ़ा देता है और जिसकी रोज़ी कम करना चाहता है कम कर देता है (सुरहतुल रअद)

मालूम हुआ कि रोज़ी की तंगी व कुशादगी में अल्लाह तआला की हिकमत पोशीदा है। इस तरह दोनों की आज़माइश (परीक्षा) हो जाती है कि वह कितने शुक्रगुज़ार और मज़बूत रहते हैं इसलिए हर व्यक्ति को अपनी हालत और हिम्मत के अनुसार रोज़ी तलाश करने में कशमकश करनी आवश्यक है। कुरआन मजीद में मेहनत व संघर्ष की तरग़ीब इसी तरह दिलायी गयी है (अनुवाद) ''इंसान को जो कुछ मिलता है वह उसकी सई व कोशिश से मिलता है। (सूरहतुल खजम)

इसी तरह दूसरे स्थान पर यूं फरमाया (अनुवाद) ''वह अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को सरल बना दिया कि तुम उसके रास्तों में चलो और इसकी दी हुई रोज़ी में से खाओ और उसी के पास मरने के बाद ज़िन्दा होकर जाना है।

(सूरहतुल मुल्क)

मालूम हुआ कि मुक़द्दर की रोज़ी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है और उसका पाने के लिए हलाल व पवित्र साधन अपनाना ज़रूरी है हलाल रोज़ी में बड़ी बरकत है इसमें दीन व दुनिया की सआदत छुपी हुई हैं हलाल कमाई करने वाला लोगों की नज़रों में भी महबूब होता है और अल्लाह के यहां बुलंद दर्जात का पात्र माना जाता है और वह इसे अपना महबूब बना लेता है और बन्दा जो इबादत करता है वह उसे क़बूल फरमा लेता है जबकि हराम खाने वाले की कोई इबादत स्वीकार नहीं की जाती। रहमते आलम (सल्ल॰) ने फरमाया (अनुवाद) ''यानि हलाल रोज़ी का तलब करना फर्ज़ है अल्लाह तआला के फर्ज़ के बाद (बहक़ी) यानि अल्लाह तआला के दूसरे फर्ज़ उदाहरणार्थ नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात की अदायगी के बाद हलाल रोज़ी की भी जुस्तजू करना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि सारी इबादतों की कबूलियत का दारोमदार इसी पर है, सरवरे कायनात अलैहिस्सलावात वस्सलाम का फरमान है (अनुवाद) यकीनन अल्लाह पवित्र है और पाक ही को क़बूल फरमाता है। अल्लाह तआला ने जो नबियों और रसूलों को आदेश दिया है वहीं आम मुसलमानों को भी हुक्म दिया है इसलिए फरमाया ''ऐ रसूलों, तुम पाकीज़ा (पवित्र) चीज़ों को खाओ और अच्छे काम करो।

रसूल अल्लाह (सल्ल॰) ने उस आदमी का ज़िक्र किया जो लम्बा सफर करता है (यानि जो) थका मांदा, धूल भरे अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ किए हुए कहता है कि 'ऐ मेरे रब (यानि गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता है कि ऐ मेरे रब ''तू ऐसा कर यह दे दे वह दे दे) हालांकि उसका खाना हराम है उसका पीना हराम है और उसका पहनना हराम है और हराम माल ही से उसकी परवरिश हुई है तो उसकी दुआ किस तरह क़बूल हो।(सही मुस्लिम)

मालूम हुआ, दुआओं और इबादतों की क़बूलियत भी हलाल रिज़्क से ही जुड़ी है।

''आप (सल्ल॰) का इरशाद गरामी है (अनुवाद) ''जिसने पवित्र कमाई खायी और सुन्नत के अनुसार काम किया और लोगों को अपनी गतिविधियों से अमन शांति में रखा वह जन्नत में दाख़िल होगा (तिर्मिजी) हलाल रोज़ी बन्दे को मुस्तजाब अल दाअवात बना देता है। सैयदना इब्ने अब्बास (रज़ि॰) फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह (सल्ल॰) के सामने इस आयते करीमा की तिलावत की गयी (अनुवाद) ''ऐ लोगों! तुम ज़मीन की पैदावार में से हलाल और पवित्र खाओ तो सअद बिन अबी वकास (रज़ि॰) ने खड़े होकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (सल्ल॰) आप अल्लाह तआला से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि वह मुझे मुस्तजाब अल दावात बना दे यानि मेरी दुआ क़बूल फरमा लिया करे। आप (सल्ल॰) ने फरमाया ''ऐ सअद हलाल कमाई खाओ तुम मुस्तजाब अल दावात हो जाओगे यानि तुम्हारी दुआ क़बूल होगी। अल्लाह की क़सम जब बन्दा हराम का लुक्मा पेट में डालता है तो चालीस रोज़ तक उसका अमल क़बूल नहीं किया जाता और जिस बन्दे का गोश्त हराम से पला हो तो जहन्नम की आग उसके बहुत लायक है। (अल तरग़ीब वल तरहीब) ❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

होती है और निकाह हो जाता है।

जहां तक आईपीसी का प्रश्न है तो इसकी धारा-375 में रेप को परिभाषित किया गया है। उसी में मैरिटल रेप को लेकर कहा गया है कि अगर कोई लड़की 15 वर्ष से कम आयु की है और उसके पति ने उससे संबंध बनाए तो वह रेप होगा। लेकिन पत्नी नाबालिग है और आयु 15 वर्ष से ज़्यादा है तो उसके साथ बनाया गया संबंध रेप के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि अक्तूबर 2017 को दिए एक फैसले में इस अपवाद को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और व्यवस्था दी कि अगर पत्नी 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे संबंध बनाए जाते हैं तो पत्नी अपने पति के ख़िलाफ़ रेप का केस दर्ज करा सकती है। जजमेंट के बाद अब नाबालिग़ पत्नी इसके लिए शिकायत कर सकता है और रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन यहां यह मुद्दा काबिले ग़ौर है कि अगर लड़की 15 वर्ष से ज़्यादा और 18 साल से कम है और उसने कोई शिकायत नहीं की और न ही बालिग होने के बाद शादी को अमान्य क़रार देने के लिए अर्ज़ी दी तो वह शादी भी मान्य है और पति द्वारा बनाए गए संबंध भी अपराध नहीं हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर हिन्दू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग लड़कियों की शादी अभी भी अमान्य नहीं है तो फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किए जाने का लाभ भारतीय समाज को कैसे मिलेगा जबकि देशभर में दूर-दराज़ इलाक़ों में अभी भी नाबालिग़ लड़कियों की शादी पर्सनल लॉ के तहत ही होती है।

एक अहम पहलू शारीरिक संबंध बनाने की सहमति से जुड़ा है। कानूनी प्रावधान कहता है कि अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम आयु की है और वह संबंध बनाने के लिए सहमति देती है तो भी आदमी के ख़िलाफ़ रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन उसकी आयु अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है और शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति है तो फिर संबंध बनाने वाले के ख़िलाफ़ रेप का केस नहीं हो सकता। अब यहां प्रश्न यह है कि अगर लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जा रही है तो क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही बनी रहेगी या उसे भी 21 वर्ष किए जाने की ज़रूरत है? ऐसे ही अगर नाबालिग हिन्दू लड़की शादी को अमान्य करार दिलाना चाहे तो वह 18 वर्ष की आयु होने पर आवेदन करेगी या 21 की आयु में आने के बाद? अगर 18 वर्ष के बाद भी वह शादी को अमान्य करार नहीं दिलाती है तो क्या 21 वर्ष से कम आयु की उसकी शादी मान्य बनी रहेगी? ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **27 Fab.2022** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•वैक्सीन का असर•राहत की बात

•शादी की सही आयु क्या हो?

वैक्सीन का असर

पिछले तकरीबन दो वर्ष में जिस शब्द ने दुनिया को सबसे ज़्यादा उलझाए रखा, वह है वैक्सीन। सरकारों ने इसे हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए, दुनिया के कोने कोने में इसकी आपूर्ति के लिए बनी व्यवस्थाओं ने दिन रात एक कर दिया, अपना जीवन जोखिम में डालकर चिकित्साकर्मी वैक्सीनेशन के काम में जुटे और लोगों ने इसे लगवाने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगाईं। यहां पर हमने इन वैक्सीन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वैज्ञानिकों को छोड़ दिया है, क्योंकि बाकी ने तो अपने

यह प्रश्न काफी समय से खड़ा किया जा रहा है कि वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है या हर्ड इम्युनिटी। परंपरागत सोच कहती है कि प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना वैक्सीन के मुक़ाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस किसी को भी कोविड हुआ, डाक्टर उसके कुछ समय बाद तक वैक्सीन न लगवाने की सलाह देते रहे। सोच यह थी कि ऐसी स्थिति में वैक्सीन की तुरंत ज़रूरत नहीं है।

काम को अंजाम तक पहुंचाकर चैन की सांस ले ली है, पर वैज्ञानिकों को यह मौक़ा अभी भी नहीं मिला है। वे वैज्ञानिक ही हैं, जो इस काम में सबसे पहले जुटे थे और वे वैज्ञानिक ही हैं, जो अभी तक इसमें जुटे हैं। वे वैज्ञानिक ही हैं जिन्होंने अपनी सक्रियता से सबसे पहली उम्मीद की किरण दिखाई थी और वे वैज्ञानिक ही हैं, जिनकी सक्रियता तब तक जारी रहने वाली है, जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते। दुनिया में वैक्सीन और उसके प्रभावों को लेकर जितना काम पिछले दो वर्ष में हुआ है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई शोध सामने आए हैं जो महामारी को लेकर प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हमारी कई शंकाओं का निवारण करते हैं।

यह प्रश्न काफी समय से खड़ा किया जा रहा है कि वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है या हर्ड इम्युनिटी। परंपरागत सोच कहती है कि प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना वैक्सीन के मुक़ाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस किसी को भी कोविड हुआ, डाक्टर उसके कुछ समय बाद तक वैक्सीन न लगवाने की सलाह देते रहे। सोच यह थी कि ऐसी स्थिति में वैक्सीन की तुरंत ज़रूरत नहीं है। पर जो नए शोध सामने आ रहे हैं, वे कुछ और कहानी कहते हैं। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन का शोध बताता है कि यदि आपके पास प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है, तब भी आपको वैक्सीन की आवश्यकता है। शोध में पाया गया है कि बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को काफी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह काम शरीर लंबे समय तक नहीं कर सकता, इसलिए वह जल्द उनकी संख्या कम कर देता है इसलिए ज़रूरी है कि बाहर से एंटीबॉडी ली जाएं और यह काम वैक्सीन ही कर सकती है। दूसरी ओर, स्टैनफोर्ड मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविड का टीका लगवाने के कारण शरीर की वे लसिका ग्रंथियां काफी सक्रिय हो जाती है, जो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती हैं। जबकि तेल अवीव विश्वविद्यालय का एक अध्ययन बता रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उनमें दोबारा कोविड होने की आशंका 0.4 फीसद पाई गई, जबकि जिन्होंने नहीं लगवाई उनें यह आशंका 3.3 फीसद मिली। इस शोध के लिए 83 हजार से ज़्यादा मरीज़ों का अध्ययन किया गया। इन शोध से हम यह भी समझ सकते हैं कि कोविड की तीसरी लहर भारत और बाकी दुनिया में इतनी आसानी से कैसे निपट गई। ये अध्ययन उस समय आए हैं, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार चेतावनी दे रहा है कि अभी कोविड की पाबंदियों में बहुत ज़्यादा ढील देने का समय नहीं है, मास्क, सामाजिक दूरी और टीकाकरण के मामले में तो सतर्कता अभी भी बहुत ज़रूरी है।

राहत की बात

दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में एंजियोप्लास्टी को सस्ता कर दिया जाना स्वागतयोग्य क़दम है। दिल की धमनियों में ब्लाकेज दूर करने के लिए की जाने वाली एंजियोप्लास्टी में अब मरीज़ों को स्टेंट के लिए अधिक पैसे देने की नहीं पड़ेंगे। पिछले दिनों मरीज़ों को सस्ता स्टेट मिलना शुरू हो गया है। पिछले इसी अस्पताल में एक स्टेंट के लिए 23,625 रुपये का खर्च आता था, जबकि अब यहां पर 9450 रुपये में ही मिल रहा है। दिल की बीमारियों के लिए राजधानी में प्रमुख अस्पतालों में से एक जीबी पंत के प्रबंधन ने स्टेंट के लिए पांच कंपनियों के टेंडर मंज़ूर किए हैं। अस्पताल प्रबंधन मरीज़ों को पांच कंपनियों के स्टेंट उपलब्ध करा रहा है, जिनकी कीमत 9450 रूपये से शुरू होकर 23,620 रुपये तक है। यही नहीं, इतनी कम कीमत पर मिलने के बावजूद ये स्टेंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआइ) से स्वीकृत होने के साथ ही दवा युक्त भी है।

जी.बी. पंत अस्पताल प्रबंधन का यह क़दम दिल के मरीज़ों के लिए काफी लाभदायक है। यदि एंजियोप्लास्टी के दौरान किसी मरीज़ा को एक से अधिक स्टेंट लगाने पड़ते थे तो मरीज़ो की जेब पर इसका काफी बोझ पड़ जाता था। फिलहाल जी0बी0 पंत अस्पताल में सस्ते स्टेंट की सुविधा शुरू की गई है, वहीं इसे जल्द ही दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशयालिस्ट अस्पताल व जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल में भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीज़ों को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा। केन्द्र सरकार ने अस्पतालों में आपातकाल में पहुंचने वाले मरीज़ों के लिए ये मुफ्त है, लेकिन अन्य मरीज़ों के लिए स्टेंट का मूल्य करीब 23 हजार रूपये है। जीबी पंत अस्पताल की तरह ही केन्द्र सरकार के अस्पतालों में भी मरीज़ों को सस्ता स्टेंट उपलब्ध कराने के प्रयास होने चाहिए, ताकि वहां पहुंचने वाले मरीज़ों को भी इसके लिए अधिक ख़र्च न करना पड़े।

शादी की सही आयु क्या हो?

बीते संसद सत्र में एक बिल भी काफी चर्चा में रहा और वह है लड़कियों की शादी की आयु से संबंधित। शादी के लिए लड़कियों, की आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संसद की स्टैंडिंग कमिटी में भेजा गया है। इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। एक बात यह भी ग़ौर करने वाली है कि लड़की की शादी की न्यूनतम आयु पर अलग-अलग पर्सनल लॉ में अलग अलग प्रावधान हैं। साथ ही शारीरिक संबंध और सहमति को लेकर भी कई विरोधाभास हैं। ज़ाहिर है, इस प्रस्ताव ने एक साथ कई जटिल मसले छेड़ दिए हैं। दरअसल, जया जेटली समिति की सिफारिश के आधार पर यह बिल लाया गया है। समिति को देखना था कि शादी और मातृत्व की आयु का मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य, प्रजनन दल, मातृ मृत्यु दर, शिशु लैंगिक अनुपात आदि से कैसा संबंध है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल करने वाले भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय का भी कहना है कि लड़की और लड़के की उम्र में अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उम्र में अंतर होने से समानता के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

मगर मौजूदा स्थिति में विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों में विरोधाभास है। स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावित क़ानून पास होने के बाद लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु भी 18 से 21 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होने वाली शादी में अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो भी वह शादी अमान्य नहीं है। इसके तहत प्रावधान है कि अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है और उसकी शादी कराई जाती है शादी के बाद बालिग होने पर लड़की चाहे तो शादी को अमान्य घोषित करने के लिए गुहार लगा सकती है तो वह शादी मान्य हो जाती है। यानि

मौजूदा स्थिति में विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों में विरोधाभास है। स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावित क़ानून पास होने के बाद लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु भी 18 से 21 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होने वाली शादी में अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो भी वह शादी अमान्य नहीं है।

नाबालिग लड़की जिसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है उसकी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी अमान्य नहीं बल्कि अमान्य क़रार दिए जाने योग्य होती है।

इससे अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जब लड़की प्यूबर्टी पा लेती है यानि शारीरिक तौर पर शादी के योग्य हो जाती है तो उसकी शादी हो सकती है। अगर लड़की नाबालिग है तो उसे पैरेंट्स की सहमति ज़रूरी

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173